



हरियाणा सरकार

अनुपूरक अनुमान

2024-25
(प्रथम किस्त)

(राज्यपाल के आदेशानुसार हरियाणा विधान सभा को
यथा-प्रस्तुत)

प्रस्तावना

इस खंड में सम्मिलित अनुपूरक मांगें चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अनुपूरक मागों की प्रथम किस्त है। इस खंड में अनुपूरक विनियोजन चालू वर्ष के दौरान मार्च 2024 में 2024-25 के बजट अनुमान राज्य विधान सभा द्वारा पारित होने के पश्चात सरकार द्वारा नई कल्याण योजनाओं की घोषणा तथा कुछ चालू योजनाओं के खर्च को पूरा करने हेतु बजट अनुमान 2024-25 द्वारा स्वीकृत राशि से अधिक अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के कारण सम्मिलित किए गए हैं।

2. इस खंड में सम्मिलित कुल अतिरिक्त मांगे 8815.39 करोड़ रुपये की हैं, जिसमें से 6752.93 करोड़ रुपये राजस्व परिव्यय तथा 2062.46 करोड़ रुपये पूंजीगत परिव्यय से सम्बन्धित है। मांग संख्या 20, मुख्य शीर्ष-2515-राज्य वित्त आयोग के तहत ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास के तहत राजस्व परिव्यय के अंतर्गत उपलब्ध 224.00 करोड़ रुपये की अनुपयोगी राशि को समायोजित करने उपरांत, शुद्ध अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) की राशि 8591.39 करोड़ रुपये है।

3. सरकारी खजाने पर पड़ने वाले 8591.39 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय भार को भारत सरकार से प्राप्त विशेष सहायता एवं अनुदान तथा राजस्व संग्रहण तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाकर एवं अधिक राजस्व जुटाकर पूरा किया जाएगा।

अनुराग रस्तोगी
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार
वित्त विभाग।

अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम क्रिस्त)

(राशि रुपये में)

मांग संख्या	विभाग और सेवाएं	राजस्व				पूंजीगत				कुल जोड़	विवरण के पृष्ठ
		मुख्य शीर्ष	स्वीकृत	प्रभारित	जोड़	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत	प्रभारित	जोड़		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
02	राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद्	2013-मंत्रीपरिषद्	15,00,00,000	...	15,00,00,000		15,00,00,000	1-2
		कुल	15,00,00,000	...	15,00,00,000		15,00,00,000	
03	सामान्य प्रशासन/निर्वाचन	2015-निर्वाचन	52,00,00,000	...	52,00,00,000		52,00,00,000	3-9
		2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	1,26,01,000	...	1,26,01,000		1,26,01,000	
		2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	11,40,00,000	...	11,40,00,000		11,40,00,000	
		कुल	64,66,01,000	...	64,66,01,000		64,66,01,000	
04	राजस्व और आपदा प्रबन्धन /अग्निशमन कार्यालय (अग्निशमन सेवाएं)/आबकारी एवं कृषि	2030-स्टाम्प तथा पंजीकरण	16,25,00,000	...	16,25,00,000		16,25,00,000	10-13
		2053-जिला प्रशासन	230,00,00,000	...	230,00,00,000		230,00,00,000	
		2506-भूमि सुधार	33,00,00,000	...	33,00,00,000		33,00,00,000	
		कुल	279,25,00,000	...	279,25,00,000		279,25,00,000	
05	गृह (गृह रक्षी एवं नागरिक सुरक्षा/जेल (कारागार)/ न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण)	2014-न्याय प्रशासन	25,00,00,000	...	25,00,00,000		25,00,00,000	14-21
		2055-पुलिस	500,00,00,000	...	500,00,00,000		500,00,00,000	
		2056-जेल	12,25,00,000	...	12,25,00,000		12,25,00,000	
			4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	130,00,00,000	...	130,00,00,000	130,00,00,000	
		कुल	537,25,00,000	...	537,25,00,000	कुल	130,00,00,000	...	130,00,00,000	667,25,00,000	
06	वित्त तथा संस्थागत वित्त और ऋण नियंत्रण/आपूर्ति एवं निपटान/आयोजना तथा सांख्यिकी	2049-ब्याज अदायगियाँ	...	1,00,000	1,00,000		1,00,000	22-25
		2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन	7,56,00,000	...	7,56,00,000		7,56,00,000	
			4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2,00,00,000	...	2,00,00,000	2,00,00,000	
		कुल	7,56,00,000	1,00,000	7,57,00,000	कुल	2,00,00,000	...	2,00,00,000	9,57,00,000	
07	राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा पेशगियाँ		7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि	120,00,00,000	...	120,00,00,000	120,00,00,000	26-28
			कुल	120,00,00,000	...	120,00,00,000	120,00,00,000	

अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम क्रिस्त)

(राशि रुपये में)

मांग संख्या	विभाग और सेवाएँ	राजस्व				पूँजीगत				कुल जोड़	विवरण के पृष्ठ
		मुख्य शीर्ष	स्वीकृत	प्रभारित	जोड़	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत	प्रभारित	जोड़		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	कृषि एवं किसान कल्याण/बागवानी/ पशुपालन और डेयरी विकास/ मत्स्य पालन/खान एवं भूविज्ञान / पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव	2401-फसल कृषि कर्म	1000,02,00,000	...	1000,02,00,000		1000,02,00,000	29-33
			4401-फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	1,00,000	...	1,00,000	1,00,000	
			6401-फसल कृषि-कर्म के लिये कर्ज	1,00,000	...	1,00,000	1,00,000	
		कुल	1000,02,00,000	...	1000,02,00,000	कुल	2,00,000	...	2,00,000	1000,04,00,000	
11	सहकारिता / खाद्य नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता मामले	2408-खाद्य, भंडारण तथा भांडागार	389,79,50,000	...	389,79,50,000		389,79,50,000	34-40
		2425-सहकारिता	5,00,000	...	5,00,000		5,00,000	
		कुल	389,84,50,000	...	389,84,50,000		389,84,50,000	
12	शिक्षा (माध्यमिक/ प्राथमिक)/ उच्च शिक्षा (उच्च/ तकनीकी/ विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी)/ महिला एवं बाल विकास	2202-सामान्य शिक्षा	266,95,16,000	...	266,95,16,000		266,95,16,000	41-51
		2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	31,76,00,000	...	31,76,00,000		31,76,00,000	
		2236-पोषण	161,50,00,000	...	161,50,00,000		161,50,00,000	
			4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय	3,00,00,000	...	3,00,00,000	3,00,00,000	
		कुल	460,21,16,000	...	460,21,16,000	कुल	3,00,00,000	...	3,00,00,000	463,21,16,000	
13	खेल/ विरासत तथा पर्यटन (पुरातत्व/ संग्रहालय/ पर्यटन)	2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएँ	30,00,00,000	...	30,00,00,000		30,00,00,000	52-55
		3452-पर्यटन	35,00,000	...	35,00,000		35,00,000	
			4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत	241,14,00,000	...	241,14,00,000	241,14,00,000	
		कुल	30,35,00,000	...	30,35,00,000	कुल	241,14,00,000	...	241,14,00,000	271,49,00,000	
14	स्वास्थ्य/ चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान/ आयुष/ खाद्य एवं औषधि प्रशासन	2210-चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य	482,80,00,000	...	482,80,00,000		482,80,00,000	56-69
			4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	484,70,00,000	...	484,70,00,000	484,70,00,000	
			6210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के लिए उधार	120,00,00,000	...	120,00,00,000	120,00,00,000	
		कुल	482,80,00,000	...	482,80,00,000	कुल	604,70,00,000	...	604,70,00,000	1087,50,00,000	

अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम क्रिस्त)

(राशि रुपये में)

मांग संख्या	विभाग और सेवाएँ	राजस्व				पूँजीगत				कुल जोड़	विवरण के पृष्ठ
		मुख्य शीर्ष	स्वीकृत	प्रभारित	जोड़	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत	प्रभारित	जोड़		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	श्रम/युवा सशक्तिकरण एवं उद्यमिता (कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण/ रोजगार/ युवा मामले)	2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	30,00,00,000	...	30,00,00,000		30,00,00,000	70-71
		कुल	30,00,00,000	...	30,00,00,000		30,00,00,000	
16	सामाजिक न्याय, सशक्तिकरण / अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं अन्तोदय/ भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण	2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का	38,01,00,000	...	38,01,00,000		38,01,00,000	72-84
		2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1083,63,00,000	...	1083,63,00,000		1083,63,00,000	
		कुल	1121,64,00,000	...	1121,64,00,000		1121,64,00,000	
17	लोक निर्माण (भवन व सड़कें) / परिवहन / नागर विमानन	2041-वाहन कर	5,75,00,000	...	5,75,00,000		5,75,00,000	85-96
		2059-लोक निर्माण-कार्य	123,20,00,000	...	123,20,00,000		123,20,00,000	
		2216-आवास	24,00,00,000	...	24,00,00,000		24,00,00,000	
		3054-सड़क तथा सेतु	420,00,00,000	...	420,00,00,000		420,00,00,000	
		3055-सड़क परिवहन	87,70,00,000	...	87,70,00,000		87,70,00,000	
			4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	5,00,00,000	...	5,00,00,000	5,00,00,000	
			5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय	17,60,20,000	...	17,60,20,000	17,60,20,000	
		कुल	660,65,00,000	...	660,65,00,000	कुल	22,60,20,000	...	22,60,20,000	683,25,20,000	
19	ऊर्जा विभाग (विद्युत / नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा)/ उद्योग एवं वाणिज्य एमएसएमई/ सिंचाई एवं जल संसाधन	2700-मुख्य सिंचाई	20,00,00,000	...	20,00,00,000		20,00,00,000	97-104
		2801-बिजली	739,45,00,000	...	739,45,00,000		739,45,00,000	

अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त)

(राशि रुपये में)

मांग संख्या	विभाग और सेवाएँ	राजस्व				पूँजीगत				कुल जोड़	विवरण के पृष्ठ
		मुख्य शीर्ष	स्वीकृत	प्रभारित	जोड़	मुख्य शीर्ष	स्वीकृत	प्रभारित	जोड़		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2810-नवीन और नवीकरणीय उर्जा	600,00,00,000	...	600,00,00,000		600,00,00,000	
		2851-ग्रामीण तथा लघु उद्योग	1,00,000	...	1,00,000		1,00,000	
			4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	20,00,00,000	...	20,00,00,000	20,00,00,000	
			4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय	30,00,00,000	...	30,00,00,000	30,00,00,000	
		कुल	1359,46,00,000	...	1359,46,00,000	कुल	50,00,00,000	...	50,00,00,000	1409,46,00,000	
20	नगर तथा ग्राम आयोजना/ शहरी सम्पदा (शहरी विकास) / शहरी स्थानीय निकाय (स्थानीय सरकार) / विकास और पंचायत (ग्रामीण विकास) / जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	2215-जलापूर्ति तथा सफाई	314,00,00,000	...	314,00,00,000		314,00,00,000	105-117
		2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2,00,000	...	2,00,000		2,00,000	
		2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	...	20,00,000	20,00,000		20,00,000	
			4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय	366,00,00,000	...	366,00,00,000	366,00,00,000	
			4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय	279,00,00,000	...	279,00,00,000	279,00,00,000	
			4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय	224,00,00,000	...	224,00,00,000	224,00,00,000	
			4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	20,00,00,000	...	20,00,00,000	20,00,00,000	
		कुल	314,02,00,000	20,00,000	314,22,00,000	कुल	889,00,00,000	...	889,00,00,000	1203,22,00,000	
		कुल जोड़	6752,71,67,000	21,00,000	6752,92,67,000	कुल जोड़	2062,46,20,000	...	2062,46,20,000	8815,38,87,000	

नोट:-	क्रम संख्या	मद	(राशि रुपये में)
	1	अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त)	8815,38,87,000
		अंतर्गत अनुसार उपलब्ध अप्रयुक्त राशि	
	2	मांग संख्या 20 मुख्य शीर्ष 2215-राज्य वित्त आयोग के तहत ग्रामीण आधारभूत सारचना विकास (एसएफसी) राजस्व योजना P-01-20-2515-51-198-96-51-N-V	224,00,00,000
		बचत राशि का उपयोग:	
	3	मांग संख्या 20 मुख्य शीर्ष 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों P-01-20-4515-51-101-97-51-N-V	224,00,00,000
	4	शुद्ध अनुपूरक राशि 2024-25 (प्रथम किस्त)	8591,38,87,000

मांग संख्या 02
राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद्

वर्ष 2024-25 के अनुदानों और विनियोजनों की मांगों के विवरण पत्र का पृष्ठ (I) देखिए

1. मूल अनुदान

राजस्व

स्वीकृत: एक सौ छियासी करोड़ चौदह लाख पचहत्तर हजार रुपये

प्रभारित: तेईस करोड़ पैसठ लाख बावन हजार रुपये

पूजीगत

स्वीकृत:

प्रभारित:

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध में खर्च को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष (प्रथम किस्त) में अपेक्षित राशि के अनुपूरक अनुमान :-

2013-मंत्रीपरिषद्

राजस्व

स्वीकृत पंद्रह करोड़ रूपये

3. उप/लघु शीर्ष जिनके अधीन अनुपूरक अनुदानों का लेखा रखा जाएगा :-

2013-मंत्रीपरिषद्

51-लागू नहीं

800-अन्य व्यय

99-मंत्रियों के आवास भवनों तथा कार्यालयों का रख रखाव

51-लागू नहीं

राजस्व

₹

स्वीकृत

(18) रख रखाव (R)

15,00,00,000

कुल

15,00,00,000

कुल 2013-मंत्रीपरिषद्

15,00,00,000

4. कुल मूल अनुदान 2024-25

₹

राजस्व

स्वीकृत

186,14,75,000

प्रभारित

23,65,52,000

पूँजीगत	
स्वीकृत	...
प्रभारित	...
5. जोड़िए, अब अपेक्षित राशि	₹
	15,00,00,000
राजस्व	
स्वीकृत	15,00,00,000
प्रभारित	...
पूँजीगत	
स्वीकृत	...
प्रभारित	...
6. अब अपेक्षित राशि जोड़ने के बाद कुल अनुदान :-	₹
	224,80,27,000
राजस्व	
स्वीकृत	201,14,75,000
प्रभारित	23,65,52,000
पूँजीगत	
स्वीकृत	...
प्रभारित	...
2013-मंत्रीपरिषद	
51-लागू नहीं	
800-अन्य व्यय	
99-मंत्रियों के आवास भवनों तथा कार्यालयों का रख रखाव	
51-लागू नहीं	
स्वीकृत	15,00,00,000
<p>वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान मुख्यमंत्री आवास, मंत्रियों के कार्यालय कक्षों एवं उनके आवास के रखरखाव कार्यों के व्यय को पूरा करने के लिए 15,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।</p> <p>बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः 15,00,00,000/- रुपये की मांग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से की जा रही है। यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।</p>	

मांग संख्या 03
सामान्य प्रशासन/ निर्वाचन

वर्ष 2024-25 के अनुदानों और विनियोजनों की मांगों के विवरण पत्र का पृष्ठ (II) देखिए

1. मूल अनुदान

राजस्व

स्वीकृत: एक हजार दो सौ सतहत्तर करोड़ बावन लाख बावन हजार रुपये

प्रभारित: तैंतालीस करोड़ सोलह लाख दस हजार रुपये

पूंजीगत

स्वीकृत: अस्सी करोड़ ग्यारह लाख रुपये

प्रभारित:

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध में खर्च को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष (प्रथम किस्त) में अपेक्षित राशि के अनुपूरक अनुमान :-

2015-निर्वाचन

राजस्व

स्वीकृत बावन करोड़ रुपये

2052-सचिवालय- सामान्य सेवाएं

राजस्व

स्वीकृत एक करोड़ छब्बीस लाख एक हजार रूपये

2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं

राजस्व

स्वीकृत ग्यारह करोड़ चालीस लाख रुपये

3. उप/लघु शीर्ष जिनके अधीन अनुपूरक अनुदानों का लेखा रखा जाएगा :-

2015-निर्वाचन

51-लागू नहीं

105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार

99-आम चुनाव

51-लागू नहीं

राजस्व

₹

स्वीकृत

(45) पी.ओ.एल. (R)	20,00,000
(68) चुनाव खर्च (R)	31,00,00,000
(87) मानदेय (R)	3,80,00,000

कुल		35,00,00,000
2015-निर्वाचन		
51-लागू नहीं		
106-राज्य/संघ क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार		
99-आम चुनाव		
51-लागू नहीं		
राजस्व		₹
स्वीकृत		
(45) पी.ओ.एल. (R)		1,00,00,000
(68) चुनाव खर्च (R)		14,00,00,000
कुल		15,00,00,000
2015-निर्वाचन		
51-लागू नहीं		
108-मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना		
51-लागू नहीं		
51-लागू नहीं		
राजस्व		₹
स्वीकृत		
(68) चुनाव खर्च (R)		2,00,00,000
कुल		2,00,00,000
कुल 2015-निर्वाचन		52,00,00,000
2052-सचिवालय- सामान्य सेवाएं		
51-लागू नहीं		
090-सचिवालय		
99-मुख्य सचिव		
98-स्थापना खर्च		
राजस्व		₹
स्वीकृत		
(70) एल.टी.सी. (R)		1,00,00,000
कुल		1,00,00,000
2052-सचिवालय- सामान्य सेवाएं		
51-लागू नहीं		
090-सचिवालय		
87-राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण		
51-लागू नहीं		

राजस्व	₹
स्वीकृत	
(01) वेतन (R)	15,00,000
(03) मँहगाई भत्ता (R)	10,00,000
(06) किराया दरें तथा कर (R)	1,01,000
कुल	26,01,000
कुल 2052-सचिवालय- सामान्य सेवाएं	1,26,01,000
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	
51-लागू नहीं	
003-प्रशिक्षण	
96-हरियाणा राज्य में वरिष्ठ अधिकारी के लिए प्रशिक्षण	
51-लागू नहीं	
राजस्व	₹
स्वीकृत	
(86) प्रशिक्षण (N)	40,00,000
कुल	40,00,000
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	
51-लागू नहीं	
105-विशेष जांच आयोग	
98-हरियाणा राज्य में लोकायुक्त	
98-स्थापना खर्च	
राजस्व	₹
स्वीकृत	
(01) वेतन (R)	80,00,000
(02) मजदूरी (R)	1,00,000
(03) मँहगाई भत्ता (R)	17,00,000
(04) यात्रा खर्चे (R)	1,00,000
(33) व्यवसाय तथा विशेष सेवा (R)	1,00,000
कुल	1,00,00,000
2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	
51-लागू नहीं	
115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल, इत्यादि	
99-हरियाणा निवास सै-३ चण्डीगढ़	
51-लागू नहीं	
राजस्व	₹
स्वीकृत	

(05) कार्यालय खर्चे (R)	9,39,00,000
(13) सत्कार मनोरंजन खर्चे (R)	50,00,000
(69) अनुबंधित सेवा (R)	1,00,000
(70) एल.टी.सी. (R)	5,00,000
(92) ऊर्जा प्रभार (R)	5,00,000
कुल	10,00,00,000
कुल 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं	11,40,00,000

4. कुल मूल अनुदान 2024-25

₹

राजस्व	
स्वीकृत	1277,52,52,000
प्रभारित	43,16,10,000
पूँजीगत	
स्वीकृत	80,11,00,000
प्रभारित	...

5. जोड़िए, अब अपेक्षित राशि

₹

64,66,01,000

राजस्व	
स्वीकृत	64,66,01,000
प्रभारित	...
पूँजीगत	
स्वीकृत	...
प्रभारित	...

6. अब अपेक्षित राशि जोड़ने के बाद कुल अनुदान :-

₹

1465,45,63,000

राजस्व	
स्वीकृत	1342,18,53,000
प्रभारित	43,16,10,000
पूँजीगत	
स्वीकृत	80,11,00,000
प्रभारित	...

2015-निर्वाचन

51-लागू नहीं

105-संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार

99-आम चुनाव

51-लागू नहीं

स्वीकृत

35,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान लोकसभा चुनाव 2024 में पी.ओ.एल, मानदेय और चुनाव खर्च के लम्बित बिलों से संबंधित खर्च का भुगतान करने हेतु 35,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का उपबन्ध नहीं किया जा सका। अतः 35,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह राजस्व 'स्वीकृत' खर्च की मद है।

2015-निर्वाचन

51-लागू नहीं

106-राज्य/संघ क्षेत्र के विधान मण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार

99-आम चुनाव

51-लागू नहीं

स्वीकृत

15,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान हरियाणा विधानसभा चुनाव, 2024 में पी.ओ.एल और चुनाव खर्च के लम्बित बिलों से संबंधित खर्च का भुगतान करने हेतु 15,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का उपबन्ध नहीं किया जा सका। अतः 15,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह राजस्व 'स्वीकृत' खर्च की मद है।

2015-निर्वाचन

51-लागू नहीं

108-मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना

51-लागू नहीं

51-लागू नहीं

स्वीकृत

2,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 में मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र से संबंधित खर्च का भुगतान करने हेतु 2,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का उपबन्ध नहीं किया जा सका। अतः 2,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त)के माध्यम से की जा रही है।

यह राजस्व 'स्वीकृत' खर्च की मद है।

2052-सचिवालय- सामान्य सेवाएं

51-लागू नहीं

090-सचिवालय

99-मुख्य सचिव

98-स्थापना खर्च

स्वीकृत

1,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एल. टी. सी. के खर्च को वहन करने के लिये 1,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः 1,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से की जा रही है। यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

2052-सचिवालय- सामान्य सेवाएं

51-लागू नहीं

090-सचिवालय

87-राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण

51-लागू नहीं

स्वीकृत

26,01,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान वेतन, महंगाई भत्ता और किराया दरें तथा कर के खर्च को वहन करने के लिये 26,01,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः 26,01,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से की जा रही है। यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं

51-लागू नहीं

003-प्रशिक्षण

96-हरियाणा राज्य में वरिष्ठ अधिकारी के लिए प्रशिक्षण

51-लागू नहीं

स्वीकृत

40,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ओ. पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा हरियाणा राज्य में वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आयोजित प्रशिक्षण के लंबित बिलों के भुगतान करने के लिये 40,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः 40,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से की जा रही है। यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं

51-लागू नहीं

105-विशेष जांच आयोग

98-हरियाणा राज्य में लोकायुक्त

98-स्थापना खर्च

स्वीकृत

1,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान वेतन, मजदूरी, महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, और व्यवसाय तथा विशेष सेवा के खर्च को वहन करने के लिये 1,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः 1,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से की जा रही है। यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं

51-लागू नहीं

115-अतिथि गृह, सरकारी होस्टल, इत्यादि

99-हरियाणा निवास सै-३ चण्डीगढ़

51-लागू नहीं

स्वीकृत

10,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कार्यालय खर्च, सत्कार/मनोरंजन खर्च, अनुबंधित सेवा, एल.टी.सी. और ऊर्जा प्रभार मदों के खर्च को वहन करने के लिये 10,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः 10,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से की जा रही है। यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

मांग संख्या 04
राजस्व और आपदा प्रबन्धन
/अग्निशमन कार्यालय
(अग्निशमन
सेवाएं)/आबकारी एवं
कराधान

वर्ष 2024-25 के अनुदानों और विनियोजनों की मांगों के विवरण पत्र का पृष्ठ (III-IV) देखिए

1. मूल अनुदान

राजस्व

स्वीकृत: दो हजार आठ सौ चौहत्तर करोड़ छियानबे लाख तिरासी हजार रुपये

प्रभारित:

पूँजीगत

स्वीकृत: चार सौ पचास करोड़ रुपये

प्रभारित:

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध में खर्च को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष (प्रथम किस्त) में अपेक्षित राशि के अनुपूरक अनुमान :-

2030-स्टाम्प तथा पंजीकरण

राजस्व

स्वीकृत सोलह करोड़ पच्चीस लाख रूपये

2053-जिला प्रशासन

राजस्व

स्वीकृत दो सौ तीस करोड़ रुपये

2506-भूमि सुधार

राजस्व

स्वीकृत तैंतीस करोड़ रुपये

3. उप/लघु शीर्ष जिनके अधीन अनुपूरक अनुदानों का लेखा रखा जाएगा :-

2030-स्टाम्प तथा पंजीकरण

02-स्टाम्प-न्यायिकेतर

101-स्टाम्पों की लागत

99-जांच करने वाला अमला

51-लागू नहीं

राजस्व

स्वीकृत

(34) अन्य प्रभार (R)	16,25,00,000
कुल	16,25,00,000
कुल 2030-स्टाम्प तथा पंजीकरण	16,25,00,000
2053-जिला प्रशासन	
51-लागू नहीं	
101-आयुक्त	
99-स्थापना	
51-लागू नहीं	
राजस्व	₹
स्वीकृत	
(01) वेतन (R)	170,00,00,000
(02) मजदूरी (R)	60,00,00,000
कुल	230,00,00,000
कुल 2053-जिला प्रशासन	230,00,00,000
2506-भूमि सुधार	
51-लागू नहीं	
103-भू-अभिलेखों का रखरखाव	
98-हरियाणा भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	
99-सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण और सर्वेक्षण और निपटान अभिलेखों का अद्यतनीकरण	
राजस्व	₹
स्वीकृत	
(05) कार्यालय खर्चे (R)	33,00,00,000
कुल	33,00,00,000
कुल 2506-भूमि सुधार	33,00,00,000
4. कुल मूल अनुदान 2024-25	₹
राजस्व	
स्वीकृत	2874,96,83,000
प्रभारित	...
पूँजीगत	
स्वीकृत	450,00,00,000
प्रभारित	...
5. जोड़िए, अब अपेक्षित राशि	₹
	279,25,00,000

राजस्व	
स्वीकृत	279,25,00,000
प्रभारित	...
पूँजीगत	
स्वीकृत	...
प्रभारित	...

6. अब अपेक्षित राशि जोड़ने के बाद कुल अनुदान :- ₹ 3604,21,83,000

राजस्व	
स्वीकृत	3154,21,83,000
प्रभारित	...
पूँजीगत	
स्वीकृत	450,00,00,000
प्रभारित	...

2030-स्टाम्प तथा पंजीकरण

02-स्टाम्प-न्यायिकेतर

101-स्टाम्पों की लागत

99-जांच करने वाला अमला

51-लागू नहीं

स्वीकृत 16,25,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सिक्कोरिटी प्रिंटिंग प्रेस, महाराष्ट्र और इंडिया सिक्कोरिटी प्रिंटिंग प्रेस, सैफाबाद को न्यायिक और गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर वितरित करने के खर्च के भुगतान हेतु 16,25,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः 16,25,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह राजस्व 'स्वीकृत' खर्च की मद है।

2053-जिला प्रशासन

51-लागू नहीं

101-आयुक्त

99-स्थापना

51-लागू नहीं

स्वीकृत 230,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ग्रुप-डी (कॉमन कैडर) के कर्मचारियों को वेतन और महंगाई भत्ता के व्यय को पूरा करने के लिए 230,00,00,000/-रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः 230,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह राजस्व 'स्वीकृत' खर्च की मद है।

2506-भूमि सुधार

51-लागू नहीं

103-भू-अभिलेखों का रखरखाव

98-हरियाणा भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम

99-सर्वेक्षण/पुनः सर्वेक्षण और सर्वेक्षण और निपटान अभिलेखों का अद्यतनीकरण

स्वीकृत

33,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान मेसर्स हेक्सागन जियोसिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से खरीदे गए 300 रोवर्स के व्यय को पूरा करने के लिए 33,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः 33,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह राजस्व 'स्वीकृत' खर्च की मद है।

मांग संख्या 05
गृह (गृह रक्षी एवं नागरिक
सुरक्षा/जेल (कारागार)/
न्याय प्रशासन (उच्च
न्यायालय/अभियोजन/एजी
ओटी/कानूनी सेवा
प्राधिकरण)

वर्ष 2024-25 के अनुदानों और विनियोजनों की मांगों के विवरण पत्र का पृष्ठ (V) देखिए

1. मूल अनुदान

राजस्व

स्वीकृत: सात हजार सात सौ इक्यावन करोड़ चौवन लाख तिरासी हजार सात सौ रुपये

प्रभारित: दो सौ छिहत्तर करोड़ पचासी लाख बावन हजार उनासी रुपये

पूंजीगत

स्वीकृत: चार सौ दस करोड़ एक लाख रुपये

प्रभारित:

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध में खर्च को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष (प्रथम किस्त) में अपेक्षित राशि के अनुपूरक अनुमान :-

2014-न्याय प्रशासन

राजस्व

स्वीकृत पच्चीस करोड़ रुपये

2055-पुलिस

राजस्व

स्वीकृत पाँच सौ करोड़ रुपये

2056-जेल

राजस्व

स्वीकृत बारह करोड़ पच्चीस लाख रुपये

4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

पूंजीगत

स्वीकृत एक सौ तीस करोड़ रुपये

3. उप/लघु शीर्ष जिनके अधीन अनुपूरक अनुदानों का लेखा रखा जाएगा :-

2014-न्याय प्रशासन

51-लागू नहीं

105-सिविल तथा सत्र न्यायालय

99-जिला तथा सत्र न्यायधीश		
51-लागू नहीं		
राजस्व		₹
स्वीकृत		
(03) मँहगाई भत्ता (R)		3,00,00,000
(04) यात्रा खर्चे (R)		1,50,00,000
(05) कार्यालय खर्चे (R)		1,00,00,000
(45) पी.ओ.एल. (R)		1,00,00,000
(69) अनुबंधित सेवा (R)		1,00,00,000
(79) अनुग्रह (R)		50,00,000
(92) ऊर्जा प्रभार (R)		50,00,000
कुल		8,50,00,000
2014-न्याय प्रशासन		
51-लागू नहीं		
105-सिविल तथा सत्र न्यायालय		
97-अधीनस्थ न्यायाधीश		
51-लागू नहीं		
राजस्व		₹
स्वीकृत		
(01) वेतन (R)		7,00,00,000
(02) मजदूरी (R)		2,50,00,000
(03) मँहगाई भत्ता (R)		4,00,00,000
(04) यात्रा खर्चे (R)		1,00,00,000
(45) पी.ओ.एल. (R)		2,00,00,000
कुल		16,50,00,000
कुल 2014-न्याय प्रशासन		25,00,00,000
2055-पुलिस		
51-लागू नहीं		
109-जिला पुलिस		
99-जिला पुलिस बल		
51-लागू नहीं		
राजस्व		₹
स्वीकृत		
(01) वेतन (R)		174,09,00,000
(03) मँहगाई भत्ता (R)		167,50,00,000
(06) किराया दरें तथा कर (R)		5,00,00,000

(21) मोटर वाहन (R)	51,41,00,000
(34) अन्य प्रभार (R)	30,00,00,000
(45) पी.ओ.एल. (R)	25,00,00,000
(69) अनुबंधित सेवा (R)	16,00,00,000
कुल	469,00,00,000
2055-पुलिस	
51-लागू नहीं	
114-बेतार एवं कम्प्यूटर	
99-वेतार तथा कम्प्यूटर	
98-स्थापना खर्च	
राजस्व	₹
स्वीकृत	
(67) चिकित्सा प्रतिपूर्ति (R)	2,00,00,000
(69) अनुबंधित सेवा (R)	4,00,00,000
कुल	6,00,00,000
2055-पुलिस	
51-लागू नहीं	
114-बेतार एवं कम्प्यूटर	
95-आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) हरियाणा 112	
51-लागू नहीं	
राजस्व	₹
स्वीकृत	
(88) संगणना (सूचना प्रौद्योगिकी) (R)	25,00,00,000
कुल	25,00,00,000
कुल 2055-पुलिस	500,00,00,000
2056-जेल	
51-लागू नहीं	
101-जेल	
99-किशोर सुधार संस्थान तथा किशोर कारागार सहित केन्द्रीय जिला जेलें	
51-लागू नहीं	
राजस्व	₹
स्वीकृत	
(02) मजदूरी (R)	3,50,00,000
(06) किराया दरें तथा कर (R)	7,25,00,000
(67) चिकित्सा प्रतिपूर्ति (R)	1,00,00,000
कुल	11,75,00,000

2056-जेल	
51-लागू नहीं	
102-जेल उत्पाद	
98-जिला जेलें	
51-लागू नहीं	
राजस्व	₹
स्वीकृत	
(24) सामग्री तथा आपूर्ति (R)	50,00,000
कुल	50,00,000
कुल 2056-जेल	12,25,00,000
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
60-अन्य भवन	
051-निर्माण	
96-जेलें	
51-लागू नहीं	
पूंजीगत	₹
स्वीकृत	
(16) वृहत निर्माण कार्य (N)	130,00,00,000
कुल	130,00,00,000
कुल 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	130,00,00,000
4. कुल मूल अनुदान 2024-25	₹
राजस्व	
स्वीकृत	7751,54,83,700
प्रभारित	276,85,52,079
पूंजीगत	
स्वीकृत	410,01,00,000
प्रभारित	...
5. जोड़िए, अब अपेक्षित राशि	₹
	667,25,00,000
राजस्व	
स्वीकृत	537,25,00,000
प्रभारित	...
पूंजीगत	

स्वीकृत	130,00,00,000
प्रभारित	...

6. अब अपेक्षित राशि जोड़ने के बाद कुल अनुदान :- ₹
9105,66,35,779

राजस्व	
स्वीकृत	8288,79,83,700
प्रभारित	276,85,52,079
पूंजीगत	
स्वीकृत	540,01,00,000
प्रभारित	...

2014-न्याय प्रशासन

51-लागू नहीं

105-सिविल तथा सत्र न्यायालय

99-जिला तथा सत्र न्यायधीश

51-लागू नहीं

स्वीकृत 8,50,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान महगाई भत्ता, यात्रा खर्च, कार्यालय खर्च, पी.ओ.एल., अनुबंधित सेवा, अनुग्रह तथा उर्जा प्रभार के खर्चों को वहन करने के लिये 8,50,00,000/- रूपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है ।
बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका ।
अतः 8,50,00,000/- रूपये की राशि की मांग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से की जा रही है ।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है ।

2014-न्याय प्रशासन

51-लागू नहीं

105-सिविल तथा सत्र न्यायालय

97-अधीनस्थ न्यायाधीश

51-लागू नहीं

स्वीकृत 16,50,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान वेतन, मजदूरी, महगाई भत्ता, यात्रा खर्च, तथा पी.ओ.एल. के खर्चों को वहन करने के लिये 16,50,00,000/- रूपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है ।
बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका ।
अतः 16,50,00,000/- रूपये की राशि की मांग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से की जा रही है ।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है ।

2055-पुलिस

51-लागू नहीं

109-जिला पुलिस

99-जिला पुलिस बल

51-लागू नहीं

स्वीकृत

469,00,00,000

वेतन, महंगाई भत्ता, किराया दर तथा कर, मोटर वाहन, अन्य प्रभार, पी.ओ.एल और अनुबंधित सेवा के वेतन खर्च को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 469,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का उपबन्ध नहीं किया जा सका। अतः 469,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह राजस्व 'स्वीकृत' खर्च की मद है।

2055-पुलिस

51-लागू नहीं

114-बेतार एवं कम्प्युटर

99-वेतार तथा कम्प्यूटर

98-स्थापना खर्च

स्वीकृत

6,00,00,000

चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अनुबंधित सेवा के वेतन खर्च को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 6,00,00,000 रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का उपबन्ध नहीं किया जा सका। अतः 6,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह राजस्व 'स्वीकृत' खर्च की मद है।

2055-पुलिस

51-लागू नहीं

114-बेतार एवं कम्प्युटर

95-आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) हरियाणा 112

51-लागू नहीं

स्वीकृत

25,00,00,000

संगणना (सूचना प्रद्यौगिकी) के वेतन खर्च को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 25,00,00,000 रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का उपबन्ध नहीं किया जा सका। अतः 25,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह राजस्व 'स्वीकृत' खर्च की मद है।

2056-जेल

51-लागू नहीं

101-जेल

99-किशोर सुधार संस्थान तथा किशोर कारागार सहित केन्द्रीय जिला जेलें

51-लागू नहीं

स्वीकृत

11,75,00,000

मजदूरी, किराया दर तथा कर और चिकित्सा प्रतिपूर्ति के खर्च को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 11,75,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का उपबन्ध नहीं किया जा सका। अतः 11,75,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह राजस्व 'स्वीकृत' खर्च की मद है।

2056-जेल

51-लागू नहीं

102-जेल उत्पाद

98-जिला जेलें

51-लागू नहीं

स्वीकृत

50,00,000

सामग्री एवं आपूर्ति के खर्च को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 50,00,000 रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का उपबन्ध नहीं किया जा सका। अतः 50,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह राजस्व 'स्वीकृत' खर्च की मद है।

4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60-अन्य भवन

051-निर्माण

96-जेलें

51-लागू नहीं

स्वीकृत

130,00,00,000

वृहद निर्माण कार्य के खर्च को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 130,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का उपबन्ध नहीं किया जा सका। अतः 130,00,00,000 /- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह पूंजीगत 'स्वीकृत' खर्च की मद है।

मांग संख्या 06
वित्त तथा संस्थागत वित्त और
ऋण नियंत्रण/आपूर्ति एवं
निपटान/आयोजना तथा
सांख्यिकी

वर्ष 2024-25 के अनुदानों और विनियोजनों की मांगों के विवरण पत्र का पृष्ठ (VII-VIII) देखिए

1. मूल अनुदान

राजस्व

स्वीकृत: एक हजार चौंसठ सौ छियानबे करोड़ बावन लाख इकतीस हजार रुपये

प्रभारित: दो हजार इक्यावन सौ इकतालीस करोड़ सत्तर लाख तीस हजार रुपये

पूंजीगत

स्वीकृत: चार सौ बानबे करोड़ तेईस लाख रुपये

प्रभारित:

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध में खर्च को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष (प्रथम किस्त) में अपेक्षित राशि के अनुपूरक अनुमान :-

2049-ब्याज अदायगियाँ

राजस्व

प्रभारित एक लाख रुपये

2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन

राजस्व

स्वीकृत सात करोड़ छप्पन लाख रुपये

4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

पूंजीगत

स्वीकृत दो करोड़ रुपये

3. उप/लघु शीर्ष जिनके अधीन अनुपूरक अनुदानों का लेखा रखा जाएगा :-

2049-ब्याज अदायगियाँ

05-आरक्षित निधियों पर ब्याज

105-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों पर व्याज

97-राज्य आपदा शमन निधि पर ब्याज

51-लागू नहीं

राजस्व

₹

प्रभारित

(25) व्याज (R)

1,00,000

कुल	1,00,000
कुल 2049-ब्याज अदायगियाँ	1,00,000
2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन	
51-लागू नहीं	
098-स्थानीय निधि लेखा परीक्षा	
99-मुख्यालय अमला	
98-स्थापना खर्च	
राजस्व	₹
स्वीकृत	
(01) वेतन (R)	5,00,00,000
(03) मँहगाई भत्ता (R)	2,00,00,000
(67) चिकित्सा प्रतिपूर्ति (R)	20,00,000
(69) अनुबंधित सेवा (R)	36,00,000
कुल	7,56,00,000
कुल 2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन	7,56,00,000
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
01-कार्यालय भवन	
051-निर्माण	
60-वित्त भवन का निर्माण	
51-लागू नहीं	
पूंजीगत	₹
स्वीकृत	
(64) भूमि (N)	1,00,00,000
कुल	1,00,00,000
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
80-सामान्य	
001-निदेशन तथा प्रशासन	
97-निर्माण/खरीद हेतु योजना राज्य लेखापरीक्षा निदेशालय के लिए पूंजीगत संपत्ति	
51-लागू नहीं	
पूंजीगत	₹
स्वीकृत	
(21) मोटर वाहन (N)	50,00,000
(98) फर्नीचर (N)	50,00,000
कुल	1,00,00,000
कुल 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	2,00,00,000

4. कुल मूल अनुदान 2024-25 ₹

राजस्व	
स्वीकृत	16496,52,31,000
प्रभारित	25141,70,30,000
पूँजीगत	
स्वीकृत	492,23,00,000
प्रभारित	...

5. जोड़िए, अब अपेक्षित राशि ₹

9,57,00,000

राजस्व	
स्वीकृत	7,56,00,000
प्रभारित	1,00,000
पूँजीगत	
स्वीकृत	2,00,00,000
प्रभारित	...

6. अब अपेक्षित राशि जोड़ने के बाद कुल अनुदान :- ₹

42140,02,61,000

राजस्व	
स्वीकृत	16504,08,31,000
प्रभारित	25141,71,30,000
पूँजीगत	
स्वीकृत	494,23,00,000
प्रभारित	...

2049-ब्याज अदायगियाँ

05-आरक्षित निधियों पर ब्याज

105-सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियों पर ब्याज

97-राज्य आपदा शमन निधि पर ब्याज

51-लागू नहीं

प्रभारित **1,00,000**

यह एक नई राज्य स्कीम है वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य आपदा शमन निधि पर ब्याज के भुगतान के लिए 1,00,000/- रुपये की सांकेतिक राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का उपबन्ध नहीं किया जा सका। अतः 1,00,000 /- रुपये की राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह राजस्व 'प्रभारित' खर्च की मद है।

2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन

51-लागू नहीं

098-स्थानीय निधि लेखा परीक्षा

99-मुख्यालय अमला

98-स्थापना खर्च

स्वीकृत

7,56,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नवनियुक्त लेखा परीक्षकों, लिपिकों और एच. के. आर. एन के माध्यम से लगे अनुबंधित स्टाफ के वेतन, महंगाई भत्ते और अधिकारियों/कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के खर्च का भुगतान करने हेतु 7,56,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का उपबन्ध नहीं किया जा सका। अतः 7,56,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह राजस्व 'स्वीकृत' खर्च की मद है।

4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

01-कार्यालय भवन

051-निर्माण

60-वित्त भवन का निर्माण

51-लागू नहीं

स्वीकृत

1,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भूमि की रजिस्ट्री के खर्च को वहन करने हेतु 1,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का उपबन्ध नहीं किया जा सका। अतः 1,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह पूंजीगत 'स्वीकृत' खर्च की मद है।

4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

80-सामान्य

001-निदेशन तथा प्रशासन

97-निर्माण/खरीद हेतु योजना राज्य लेखापरीक्षा निदेशालय के लिए पूंजीगत संपत्ति

51-लागू नहीं

स्वीकृत

1,00,00,000

यह एक नई स्कीम है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान फर्नीचर और मोटर वाहन के खर्च को वहन करने के लिए 1,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का उपबन्ध नहीं किया जा सका। अतः 1,00,00,000 /- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह पूंजीगत 'स्वीकृत' खर्च की मद है।

मांग संख्या 07
राज्य सरकार द्वारा कर्ज तथा
पेशगियां

वर्ष 2024-25 के अनुदानों और विनियोजनों की मांगों के विवरण पत्र का पृष्ठ (IX-XI) देखिए

1. मूल अनुदान

राजस्व

स्वीकृत:

प्रभारित:

पूँजीगत

स्वीकृत: एक हजार उनहत्तर करोड़ ग्यारह लाख साठ हजार रूपये

प्रभारित:

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध में खर्च को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष (प्रथम किस्त) में अपेक्षित राशि के अनुपूरक अनुमान :-

7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि

पूँजीगत

स्वीकृत एक सौ बीस करोड़ रूपये

3. उप/लघु शीर्ष जिनके अधीन अनुपूरक अनुदानों का लेखा रखा जाएगा :-

7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि

51-लागू नहीं

201-भवन निर्माण अग्रिम

95-न्यायिक अधिकारियों को गृह ऋण अग्रिम

51-लागू नहीं

पूँजीगत

₹

स्वीकृत

(50) अग्रिम (R)

100,00,00,000

कुल

100,00,00,000

7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि

51-लागू नहीं

202-मोटर वाहन का क्रय करने के लिए अग्रिम

96-न्यायिक अधिकारियों को सॉफ्ट कार लोन एडवांस

51-लागू नहीं

पूँजीगत	₹
स्वीकृत	
(50) अग्रिम (R)	20,00,00,000
कुल	20,00,00,000
कुल 7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि	120,00,00,000

4. कुल मूल अनुदान 2024-25 ₹

राजस्व	
स्वीकृत	...
प्रभारित	...
पूँजीगत	
स्वीकृत	1069,11,60,000
प्रभारित	...

5. जोड़िए, अब अपेक्षित राशि ₹

120,00,00,000

राजस्व	
स्वीकृत	...
प्रभारित	...
पूँजीगत	
स्वीकृत	120,00,00,000
प्रभारित	...

6. अब अपेक्षित राशि जोड़ने के बाद कुल अनुदान :- ₹

1189,11,60,000

राजस्व	
स्वीकृत	...
प्रभारित	...
पूँजीगत	
स्वीकृत	1189,11,60,000
प्रभारित	...

7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि

51-लागू नहीं

201-भवन निर्माण अग्रिम

95-न्यायिक अधिकारियों को गृह ऋण अग्रिम

51-लागू नहीं

स्वीकृत

100,00,00,000

यह एक नई राज्य स्कीम है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान न्यायिक अधिकारियों को गृह अग्रिम ऋण के व्यय को पूरा करने के लिए 100,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का उपबन्ध नहीं किया जा सका। अतः 100,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त)के माध्यम से की जा रही है।

यह एक पूंजीगत "स्वीकृत " खर्च की मद है।

7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि

51-लागू नहीं

202-मोटर वाहन का क्रय करने के लिए अग्रिम

96-न्यायिक अधिकारियों को सॉफ्ट कार लोन एडवांस

51-लागू नहीं

स्वीकृत

20,00,00,000

यह एक नई राज्य स्कीम है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान न्यायिक अधिकारियों को सॉफ्ट कार अग्रिम ऋण के व्यय को पूरा करने के लिए 20,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का उपबन्ध नहीं किया जा सका। अतः 20,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त)के माध्यम से की जा रही है।

यह एक पूंजीगत "स्वीकृत " खर्च की मद है।

मांग संख्या 10
कृषि एवं किसान
कल्याण/बागवानी/पशुपालन
और डेयरी विकास/मत्स्य
पालन/खान एवं भूविज्ञान
/पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव

वर्ष 2024-25 के अनुदानों और विनियोजनों की मांगों के विवरण पत्र का पृष्ठ (XI-XII) देखिए

1. मूल अनुदान

राजस्व

स्वीकृत: छह हजार एक सौ पंद्रह करोड़ बयालीस लाख छिहत्तर हजार सैंतीस रुपये

प्रभारित: एक करोड़ पचपन लाख रुपये

पूंजीगत

स्वीकृत: दो हजार उनसठ करोड़ तैंतालीस लाख रुपये

प्रभारित:

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध में खर्च को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष (प्रथम किस्त) में अपेक्षित राशि के अनुपूरक अनुमान :-

2401-फसल कृषि कर्म

राजस्व

स्वीकृत एक हजार करोड़ दो लाख रूपये

4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय

पूंजीगत

स्वीकृत एक लाख रूपये

6401-फसल कृषि-कर्म के लिये कर्ज

पूंजीगत

स्वीकृत एक लाख रूपये

3. उप/लघु शीर्ष जिनके अधीन अनुपूरक अनुदानों का लेखा रखा जाएगा :-

2401-फसल कृषि कर्म

51-लागू नहीं

111-कृषि अर्थ व्यवस्था एवं सांख्यिकी

88-हरियाणा फसल सुरक्षा योजना

51-लागू नहीं

राजस्व

स्वीकृत

(11) अनुदान (N)	1000,00,00,000
कुल	1000,00,00,000
2401-फसल कृषि कर्म	
51-लागू नहीं	
119-बागवानी तथा वनस्पति फसलें	
49-हरियाणा में सतत बागवानी को बढ़ावा देने के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) परियोजना, बागवानी विस्तार प्रणाली और उत्पादक समूहों को मजबूत करना	
51-लागू नहीं	
राजस्व	₹
स्वीकृत	
(11) अनुदान (R)	50,000
(86) प्रशिक्षण (R)	50,000
कुल	1,00,000
2401-फसल कृषि कर्म	
51-लागू नहीं	
789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
83-अनुसूचित जाति के किसानों के लिए मूल हरित क्रांति में फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)	
51-लागू नहीं	
राजस्व	₹
स्वीकृत	
(11) अनुदान (R)	40,000
(11) अनुदान (N)	60,000
कुल	1,00,000
कुल 2401-फसल कृषि कर्म	1000,02,00,000
4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	
51-लागू नहीं	
119-बागवानी और सब्जी फसलें	
99-हरियाणा में सतत बागवानी को बढ़ावा देने के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) परियोजना बागवानी विभाग की क्षमता को मजबूत करना	
51-लागू नहीं	
पूंजीगत	₹
स्वीकृत	
(16) वृहत निर्माण कार्य (N)	40,000
(21) मोटर वाहन (N)	40,000
(98) फर्नीचर (N)	20,000
कुल	1,00,000
कुल 4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	1,00,000

6401-फसल कृषि-कर्म के लिये कर्ज	
51-लागू नहीं	
195-कृषि सहकारी समितियों को ऋण	
99-हरियाणा में टिकाऊ बागवानी को बढ़ावा देने के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) परियोजना – कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए उत्पादक समूहों को ऋण प्रदान करना	
51-लागू नहीं	
पूंजीगत	₹
स्वीकृत	
(23) कर्जे (N)	1,00,000
कुल	1,00,000
कुल 6401-फसल कृषि-कर्म के लिये कर्ज	1,00,000

4. कुल मूल अनुदान 2024-25 **₹**

राजस्व	
स्वीकृत	6115,42,76,037
प्रभारित	1,55,00,000
पूंजीगत	
स्वीकृत	2059,43,00,000
प्रभारित	...

5. जोड़िए, अब अपेक्षित राशि **₹**

1000,04,00,000

राजस्व	
स्वीकृत	1000,02,00,000
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	2,00,000
प्रभारित	...

6. अब अपेक्षित राशि जोड़ने के बाद कुल अनुदान :- **₹**

9176,44,76,037

राजस्व	
स्वीकृत	7115,44,76,037
प्रभारित	1,55,00,000
पूंजीगत	
स्वीकृत	2059,45,00,000

प्रभारित

2401-फसल कृषि कर्म

51-लागू नहीं

111-कृषि अर्थ व्यवस्था एवं सांख्यिकी

88-हरियाणा फसल सुरक्षा योजना

51-लागू नहीं

स्वीकृत

1000,00,00,000

वर्ष 2024-25 के दौरान हरियाणा फसल सुरक्षा योजना के तहत पात्र किसानों को खरीफ फसल पर बोनस प्रदान करने के लिए अनुदान मद के अंतर्गत खर्च को पूरा करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को 1000,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।
बजटोत्तर निर्णय होने के कारण इसके लिए बजट अनुमान में बजट उपलब्ध नहीं किया जा सका। अतः 1000,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त मांग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

2401-फसल कृषि कर्म

51-लागू नहीं

119-बागवानी तथा वनस्पति फसलें

49-हरियाणा में सतत बागवानी को बढ़ावा देने के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) परियोजना, बागवानी विस्तार प्रणाली और उत्पादक समूहों को मजबूत करना

51-लागू नहीं

स्वीकृत

1,00,000

वर्ष 2024-25 के दौरान बागवानी विभाग द्वारा जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी परियोजना के लिए योजना को लागू करने हेतु अतिरिक्त राशि की मांग को पूरा करने के लिए 1,00,000/- रुपये की राशि सांकेतिक मांग अपेक्षित है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण इसके लिए बजट अनुमान में बजट उपलब्ध नहीं किया जा सका। अतः 1,00,000/- रुपये की सांकेतिक मांग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त)के माध्यम से की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

2401-फसल कृषि कर्म

51-लागू नहीं

789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

83-अनुसूचित जाति के किसानों के लिए मूल हरित क्रांति में फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)

51-लागू नहीं

स्वीकृत

40,000

यह एक नई शेयरिंग आधार योजना (60:40) है। वर्ष 2024-25 के दौरान कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा मूल हरित क्रांति-एससीएसपी घटक में योजना फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) को कार्यान्वित करने हेतु अनुदान मद के अंतर्गत राशि की मांग को पूरा करने के लिए राज्य हिस्सेदारी के लिए 40,000/- रुपये की राशि सांकेतिक मांग अपेक्षित है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण इसके लिए बजट अनुमान में बजट उपलब्ध नहीं किया जा सका। अतः 40,000/- रुपये की सांकेतिक मांग अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) 2024-25 के माध्यम से की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

स्वीकृत

60,000

यह एक नई शेयरिंग आधार योजना (60:40) है। वर्ष 2024-25 के दौरान कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा मूल हरित क्रांति-एससीएसपी घटक में योजना फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) को कार्यान्वित करने हेतु अनुदान मद के अंतर्गत राशि की मांग को पूरा करने के लिए केंद्र हिस्सेदारी के लिए 60,000/- रुपये की राशि सांकेतिक मांग अपेक्षित है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण इसके लिए बजट अनुमान में बजट उपलब्ध नहीं किया जा सका। अतः 60,000/- रुपये की सांकेतिक मांग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय

51-लागू नहीं

119-बागवानी और सब्जी फसलें

99-हरियाणा में सतत बागवानी को बढ़ावा देने के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) परियोजना बागवानी विभाग की क्षमता को मजबूत करना

51-लागू नहीं

स्वीकृत

1,00,000

वर्ष 2024-25 के दौरान बागवानी विभाग द्वारा जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी परियोजना के लिए योजना को लागू करने हेतु अतिरिक्त राशि की मांग को पूरा करने के लिए 1,00,000/- रुपये की राशि सांकेतिक मांग अपेक्षित है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण इसके लिए बजट अनुमान में बजट उपलब्ध नहीं किया जा सका। अतः 1,00,000/- रुपये की सांकेतिक मांग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह एक पूंजीगत "स्वीकृत" खर्च की मद है।

6401-फसल कृषि-कर्म के लिये कर्ज

51-लागू नहीं

195-कृषि सहकारी समितियों को ऋण

99-हरियाणा में टिकाऊ बागवानी को बढ़ावा देने के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए) परियोजना - कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए उत्पादक समूहों को ऋण प्रदान करना

51-लागू नहीं

स्वीकृत

1,00,000

वर्ष 2024-25 के दौरान बागवानी विभाग द्वारा जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी परियोजना के तहत उत्पादक समूह (पीजी) को ऋण प्रदान करने के अंतर्गत राशि की मांग को पूरा करने के लिए 1,00,000/- रुपये की राशि सांकेतिक मांग अपेक्षित है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण इसके लिए बजट अनुमान में बजट उपलब्ध नहीं किया जा सका। अतः 1,00,000/- रुपये की सांकेतिक मांग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह एक पूंजीगत "स्वीकृत" खर्च की मद है।

मांग संख्या 11
सहकारिता / खाद्य नागरिक
आपूर्ति तथा उपभोक्ता
मामले

वर्ष 2024-25 के अनुदानों और विनियोजनों की मांगों के विवरण पत्र का पृष्ठ (XII-XIII) देखिए

1. मूल अनुदान

राजस्व

स्वीकृत: एक हजार नौ सौ निन्यानबे करोड़ छह लाख इकतालीस हजार रूपये

प्रभारित: सोलह लाख रुपये

पूंजीगत

स्वीकृत: एक हजार तिरेपन सौ तेरह करोड़ चौवालीस लाख साठ हजार रुपये

प्रभारित:

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध में खर्च को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष (प्रथम किस्त) में अपेक्षित राशि के अनुपूरक अनुमान :-

2408-खाद्य, भंडारण तथा भांडागार

राजस्व

स्वीकृत तीन सौ नवासी करोड़ उन्यासी लाख पचास हजार रूपये

2425-सहकारिता

राजस्व

स्वीकृत पांच लाख रुपये

3. उप/लघु शीर्ष जिनके अधीन अनुपूरक अनुदानों का लेखा रखा जाएगा :-

2408-खाद्य, भंडारण तथा भांडागार

01-खाद्य

001-निदेशन तथा प्रशासन

98-क्षेत्रीय अमला

51-लागू नहीं

राजस्व

₹

स्वीकृत

(11) अनुदान (R)

31,00,00,000

कुल

31,00,00,000

2408-खाद्य, भंडारण तथा भांडागार

01-खाद्य

001-निदेशन तथा प्रशासन

91-टीपीडीएस ऑपरेशन के एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण का पुननिर्धारण सका नाम /बदलकर एनएफएसए/पीएमजीकेएवाई-हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन, डिपो होल्डर मार्जिन और अतिरिक्त मार्जिन		
51-लागू नहीं		
राजस्व		₹
स्वीकृत		
(34) अन्य प्रभार (N)		2,43,00,000
(34) अन्य प्रभार (R)		2,43,00,000
कुल		4,86,00,000
2408-खाद्य, भंडारण तथा भांडागार		
01-खाद्य		
001-निदेशन तथा प्रशासन		
87-स्मार्ट पी.डी.एस		
51-लागू नहीं		
राजस्व		₹
स्वीकृत		
(05) कार्यालय खर्चे (R)		74,67,000
(05) कार्यालय खर्चे (N)		1,12,00,000
(33) व्यवसाय तथा विशेष सेवा (R)		82,73,000
(33) व्यवसाय तथा विशेष सेवा (N)		1,24,10,000
कुल		3,93,50,000
2408-खाद्य, भंडारण तथा भांडागार		
01-खाद्य		
001-निदेशन तथा प्रशासन		
86-हर घर, हर गृहणी योजना		
51-लागू नहीं		
राजस्व		₹
स्वीकृत		
(11) अनुदान (N)		350,00,00,000
कुल		350,00,00,000
कुल 2408-खाद्य, भंडारण तथा भांडागार		389,79,50,000
2425-सहकारिता		
51-लागू नहीं		
106-बहुउद्देशीय ग्रामीण सहकारी समितियों को सहायता		
98-आईटी हस्तक्षेप के माध्यम से सहकारी समितियों को मजबूत बनाना		
97-आरसीएस कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण की योजना (100%सीएसएस)		
राजस्व		₹
स्वीकृत		

(88) संगणना (सूचना प्रौद्योगिकी) (N)	1,00,000
कुल	1,00,000
2425-सहकारिता	
51-लागू नहीं	
106-बहुउद्देशीय ग्रामीण सहकारी समितियों को सहायता	
98-आईटी हस्तक्षेप के माध्यम से सहकारी समितियों को मजबूत बनाना	
98-एचएससीएआरडीबी और डीपीसीएआरडीबी के कम्प्यूटरीकरण की योजना (60:40)	
राजस्व	₹
स्वीकृत	
(88) संगणना (सूचना प्रौद्योगिकी) (N)	1,00,000
(88) संगणना (सूचना प्रौद्योगिकी) (R)	1,00,000
कुल	2,00,000
2425-सहकारिता	
51-लागू नहीं	
106-बहुउद्देशीय ग्रामीण सहकारी समितियों को सहायता	
98-आईटी हस्तक्षेप के माध्यम से सहकारी समितियों को मजबूत बनाना	
99-आरसीएस कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण की योजना (60:40)	
राजस्व	₹
स्वीकृत	
(88) संगणना (सूचना प्रौद्योगिकी) (N)	1,00,000
(88) संगणना (सूचना प्रौद्योगिकी) (R)	1,00,000
कुल	2,00,000
कुल 2425-सहकारिता	5,00,000
4. कुल मूल अनुदान 2024-25	₹
राजस्व	
स्वीकृत	1994,06,41,000
प्रभारित	16,00,000
पूँजीगत	
स्वीकृत	15313,44,60,000
प्रभारित	...
5. जोड़िए, अब अपेक्षित राशि	₹
	389,84,50,000
राजस्व	

स्वीकृत	389,84,50,000
प्रभारित	...
पूँजीगत	...
स्वीकृत	...
प्रभारित	...

6. अब अपेक्षित राशि जोड़ने के बाद कुल अनुदान :- ₹ **17697,51,51,000**

राजस्व	
स्वीकृत	2383,90,91,000
प्रभारित	16,00,000
पूँजीगत	
स्वीकृत	15313,44,60,000
प्रभारित	...

2408-खाद्य, भंडारण तथा भांडागार

01-खाद्य

001-निदेशन तथा प्रशासन

98-क्षेत्रीय अमला

51-लागू नहीं

स्वीकृत **31,00,00,000**

यह एक राज्य स्कीम है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान "फील्ड स्टाफ" के तहत हैंडलिंग परिवहन शुल्क, डिपो धारक मार्जिन और अतिरिक्त मार्जिन प्रदान करने के लिए 31,00,00,000/- रूपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण इसके लिए बजट अनुमान 2024-25 में उपबंध नहीं किया जा सका। अतः अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 31,00,00,000/-रूपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" व्यय का मद है।

2408-खाद्य, भंडारण तथा भांडागार

01-खाद्य

001-निदेशन तथा प्रशासन

91-टीपीडीएस ऑपरेशन के एंड-टू-एंड कम्प्यूटरीकरण का पुननिर्धारण सका नाम /बदलकर एनएफएसए/पीएमजीकेएवाई-हैंडलिंग ट्रांसपोर्टेशन, डिपो होल्डर मार्जिन और अतिरिक्त मार्जिन

51-लागू नहीं

स्वीकृत **2,43,00,000**

यह एक केंद्र प्रायोजित शेयरिंग आधार (50:50) योजना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान "एनएफएसए/पीएमजीकेएवाई-हैंडलिंग ट्रासपोर्टेशन, डिपो होल्डर मार्जिन और एडिशन मार्जिन" योजना के तहत हैंडलिंग परिवहन शुल्क, डिपो धारक मार्जिन और अतिरिक्त मार्जिन प्रदान करने के लिए 2,43,00,000/- रूपये (केन्द्र के हिस्से के रूप में) की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण इसके लिए बजट अनुमान 2024-25 में उपबंध नहीं किया जा सका। अतः अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 2,43,00,000/- रूपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" व्यय का मद है।

स्वीकृत

2,43,00,000

यह एक केंद्र प्रायोजित शेयरिंग आधार (50:50) योजना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान "एनएफएसए/पीएमजीकेएवाई-हैंडलिंग ट्रासपोर्टेशन, डिपो होल्डर मार्जिन और एडिशन मार्जिन" योजना के तहत हैंडलिंग परिवहन शुल्क, डिपो धारक मार्जिन और अतिरिक्त मार्जिन प्रदान करने के लिए 2,43,00,000/- रूपये (राज्य के हिस्से के रूप में) की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण इसके लिए बजट अनुमान 2024-25 में उपबंध नहीं किया जा सका। अतः अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 2,43,00,000/- रूपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" व्यय का मद है।

2408-खाद्य, भंडारण तथा भांडागार

01-खाद्य

001-निदेशन तथा प्रशासन

87-स्मार्ट पी.डी.एस

51-लागू नहीं

स्वीकृत

1,57,40,000

यह एक नई केंद्र प्रायोजित शेयरिंग आधार (60:40) योजना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान "स्मार्ट पीडीएस योजना" को लागू करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और कमांड कंट्रोल सेन्टर बनाने के खर्च को पूरा करने तथा इस योजना के लिए काम करने वाली राज्य परियोजना कार्यान्वयन टीम (एसपीआईटी) के वेतन का भुगतान करने के लिए 1,57,40,000/- रूपये (राज्य के हिस्से के रूप में) की राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण इसके लिए बजट अनुमान 2024-25 में उपबंध नहीं किया जा सका। अतः अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 1,57,40,000/- रूपये की राशि की आवश्यकता है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" व्यय का मद है।

स्वीकृत

2,36,10,000

यह एक नई केंद्र प्रायोजित शेयरिंग आधार (60:40) योजना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान "स्मार्ट पीडीएस योजना" को लागू करने के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और कमांड कंट्रोल सेन्टर बनाने के खर्च को पूरा करने तथा इस योजना के लिए काम करने वाली राज्य परियोजना कार्यान्वयन टीम (एसपीआईटी) के वेतन का भुगतान करने के लिए 2,36,10,000/-रूपये (केन्द्र के हिस्से के रूप में) की राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण इसके लिए बजट अनुमान 2024-25 में उपबंध नहीं किया जा सका। अतः अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 2,36,10,000/- रूपये की राशि की आवश्यकता है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" व्यय का मद है।

2408-खाद्य, भंडारण तथा भांडागार

01-खाद्य

001-निदेशन तथा प्रशासन

86-हर घर, हर गृहणी योजना

51-लागू नहीं

स्वीकृत

350,00,00,000

यह एक नई राज्य योजना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान "हर घर, हर गृहणी योजना" के तहत बीपीएल/एएवाई लाभार्थियों को उनके बैंक खाते में एलपीजी सब्सिडी के हस्तांतरण के कारण होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए 350,00,00,000/- रूपये की राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण इसके लिए बजट अनुमान 2024-25 में उपबंध नहीं किया जा सका। अतः अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 350,00,00,000/- रूपये की राशि की आवश्यकता है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" व्यय का मद है।

2425-सहकारिता

51-लागू नहीं

106-बहुउद्देशीय ग्रामीण सहकारी समितियों को सहायता

98-आईटी हस्तक्षेप के माध्यम से सहकारी समितियों को मजबूत बनाना

97-आरसीएस कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण की योजना (100%सीएसएस)

स्वीकृत

1,00,000

यह एक नई केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (100%) है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सहकारिता को मजबूत करने के अंतर्गत रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण की योजना हेतु केंद्र हिस्सेदारी के लिए सांकेतिक माँग के रूप में 1,00,000/- रूपये की राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः 1,00,000/- रूपये की सांकेतिक माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" व्यय का मद है।

2425-सहकारिता

51-लागू नहीं

106-बहुउद्देशीय ग्रामीण सहकारी समितियों को सहायता

98-आईटी हस्तक्षेप के माध्यम से सहकारी समितियों को मजबूत बनाना

98-एचएससीएआरडीबी और डीपीसीएआरडीबी के कम्प्यूटरीकरण की योजना (60:40)

स्वीकृत

1,00,000

यह एक नई केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (शेयरिंग बेसिस) है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सहकारिता को मजबूत करने के अंतर्गत हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवम् ग्रामीण विकास बैंक तथा जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवम् ग्रामीण विकास बैंक के कम्प्यूटरीकरण की योजना हेतु केंद्र हिस्सेदारी के लिए सांकेतिक माँग के रूप में 1,00,000/- रूपये की राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः 1,00,000/- रूपये की सांकेतिक माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" व्यय का मद है।

स्वीकृत

1,00,000

यह एक नई केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (शेयरिंग बेसिस) है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सहकारिता को मजबूत करने के अंतर्गत हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवम् ग्रामीण विकास बैंक तथा जिला प्राथमिक सहकारी कृषि एवम् ग्रामीण विकास बैंक के कंप्यूटरीकरण की योजना हेतु राज्य हिस्सेदारी के लिए सांकेतिक माँग के रूप में 1,00,000/- रूपये की राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः 1,00,000/- रूपये की सांकेतिक माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम क्रिस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" व्यय का मद है।

2425-सहकारिता

51-लागू नहीं

106-बहुउद्देशीय ग्रामीण सहकारी समितियों को सहायता

98-आईटी हस्तक्षेप के माध्यम से सहकारी समितियों को मजबूत बनाना

99-आरसीएस कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण की योजना (60:40)

स्वीकृत

1,00,000

यह एक नई केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (शेयरिंग बेसिस) है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सहकारिता को मजबूत करने के अंतर्गत रजिस्ट्रार सहकारी समितियां कार्यालय के कंप्यूटरीकरण की योजना हेतु केंद्र हिस्सेदारी के लिए सांकेतिक माँग के रूप में 1,00,000/- रूपये की राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः 1,00,000/- रूपये की सांकेतिक माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम क्रिस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" व्यय का मद है।

स्वीकृत

1,00,000

यह एक नई केंद्रीय प्रायोजित स्कीम (शेयरिंग बेसिस) है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सहकारिता को मजबूत करने के अंतर्गत रजिस्ट्रार सहकारी समितियां कार्यालय के कंप्यूटरीकरण की योजना हेतु राज्य हिस्सेदारी के लिए सांकेतिक माँग के रूप में 1,00,000/- रूपये की राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः 1,00,000/- रूपये की सांकेतिक माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम क्रिस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" व्यय का मद है।

मांग संख्या 12
शिक्षा (माध्यमिक/प्राथमिक
) / उच्च शिक्षा (उच्च/
तकनीकी/ विज्ञान तथा
प्रौद्योगिकी) / महिला एवं बाल
विकास

वर्ष 2024-25 के अनुदानों और विनियोजनों की मांगों के विवरण पत्र का पृष्ठ (XIV-XIV) देखिए

1. मूल अनुदान

राजस्व

स्वीकृत: दो हजार बारह सौ सतहत्तर करोड़ आठ लाख छब्बीस हजार रुपये

प्रभारित:

पूंजीगत

स्वीकृत: एक हजार सात सौ अस्सी करोड़ सत्तर लाख रूपये

प्रभारित:

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध में खर्च को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष (प्रथम किस्त) में अपेक्षित राशि के अनुपूरक अनुमान :-

2202-सामान्य शिक्षा

राजस्व

स्वीकृत दो सौ छियासठ करोड़ पिच्यानवे लाख सोलह हजार

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

राजस्व

स्वीकृत इकतीस करोड़ छिहेतर लाख रुपए

2236-पोषण

राजस्व

स्वीकृत एक सौ इकसठ करोड़ पचास लाख रुपए

4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय

पूंजीगत

स्वीकृत तीन करोड़ रुपए

3. उप/लघु शीर्ष जिनके अधीन अनुपूरक अनुदानों का लेखा रखा जाएगा :-

2202-सामान्य शिक्षा

01-प्रारंभिक शिक्षा

111-सर्वशिक्षा अभियान

99-सर्व शिक्षा अभियान

51-लागू नहीं		
राजस्व		₹
स्वीकृत		
(09) सहायतानुदान सामान्य (R)		115,79,54,000
कुल		115,79,54,000
2202-सामान्य शिक्षा		
01-प्रारंभिक शिक्षा		
793-अनुसूचित जातियों की घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता		
99-सर्व शिक्षा अभियान		
51-लागू नहीं		
राजस्व		₹
स्वीकृत		
(74) अनुसूचित जाति के लिये विशेष अंश (R)		35,65,04,000
कुल		35,65,04,000
2202-सामान्य शिक्षा		
02-माध्यमिक शिक्षा		
109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय		
86-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान		
51-लागू नहीं		
राजस्व		₹
स्वीकृत		
(09) सहायतानुदान सामान्य (R)		91,13,40,000
कुल		91,13,40,000
2202-सामान्य शिक्षा		
02-माध्यमिक शिक्षा		
793-अनुसूचित जातियों की घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता		
98-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर एम एस ए)		
51-लागू नहीं		
राजस्व		₹
स्वीकृत		
(74) अनुसूचित जाति के लिये विशेष अंश (R)		24,37,18,000
कुल		24,37,18,000
कुल 2202-सामान्य शिक्षा		266,95,16,000
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण		
02-समाज कल्याण		
001-निर्देशन तथा प्रशासन		

97-मुख्यालय अमला (म.वा.वि.)	
98-स्थापना खर्च	
राजस्व	₹
स्वीकृत	
(69) अनुबंधित सेवा (R)	1,86,00,000
कुल	1,86,00,000
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	
02-समाज कल्याण	
102-बाल कल्याण	
92-समेकित बाल विकास परियोजना (म.बा.वि.)	
51-लागू नहीं	
राजस्व	₹
स्वीकृत	
(87) मानदेय (N)	15,00,00,000
कुल	15,00,00,000
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	
02-समाज कल्याण	
102-बाल कल्याण	
62-	
51-	
राजस्व	₹
स्वीकृत	
(34) अन्य प्रभार (N)	14,54,00,000
(69) अनुबंधित सेवा (N)	34,00,000
कुल	14,88,00,000
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	
02-समाज कल्याण	
102-बाल कल्याण	
61-आंगनवाड़ी-कम-क्रेच (पालना)	
51-लागू नहीं	
राजस्व	₹
स्वीकृत	
(05) कार्यालय खर्च (N)	20,000
(05) कार्यालय खर्च (R)	20,000
(06) किराया दरें तथा कर (R)	10,000
(06) किराया दरें तथा कर (N)	20,000

(86) प्रशिक्षण (R)	10,000
(86) प्रशिक्षण (N)	20,000
(87) मानदेय (N)	20,000
(87) मानदेय (R)	20,000
(89) विविध (R)	10,000
(89) विविध (N)	20,000
(99) खरीद (R)	10,000
(99) खरीद (N)	20,000
कुल	2,00,000
कुल 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	31,76,00,000
2236-पोषण	
02-पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण	
101-विशेष पोषण कार्यक्रम	
95-पूरक पौषाहार कार्यक्रम	
51-लागू नहीं	
राजस्व	₹
स्वीकृत	
(56) आहार और कैश डोल (N)	41,00,00,000
(56) आहार और कैश डोल (R)	41,00,00,000
(89) विविध (N)	1,24,00,000
(89) विविध (R)	1,24,00,000
कुल	84,48,00,000
2236-पोषण	
02-पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण	
101-विशेष पोषण कार्यक्रम	
87-मल्टी सेक्टरल पोषण कार्यक्रम के लिए इस योजना के तहत - पोषण मातृ एवं शिशु संबोधित करने के लिए	
51-लागू नहीं	
राजस्व	₹
स्वीकृत	
(56) आहार और कैश डोल (N)	40,00,00,000
कुल	40,00,00,000
2236-पोषण	
02-पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण	
789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
98-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष पोषाहारक प्रोग्राम	
51-लागू नहीं	

राजस्व		₹
स्वीकृत		
(74) अनुसूचित जाति के लिये विशेष अंश (N)		5,00,00,000
(74) अनुसूचित जाति के लिये विशेष अंश (R)		5,00,00,000
कुल		10,00,00,000
2236-पोषण		
80-सामान्य		
102-पोषण शिक्षा और विस्तार		
99-पोषण अभियान के लिए योजना		
51-लागू नहीं		
राजस्व		₹
स्वीकृत		
(34) अन्य प्रभार (R)		3,03,00,000
(34) अन्य प्रभार (N)		4,55,00,000
(89) विविध (R)		7,78,00,000
(89) विविध (N)		11,66,00,000
कुल		27,02,00,000
कुल 2236-पोषण		161,50,00,000
4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय		
02-समाज कल्याण		
102-बाल कल्याण		
99-आंगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण		
98-राज्य अंशदान		
पूंजीगत		₹
स्वीकृत		
(18) रख रखाव (N)		3,00,00,000
कुल		3,00,00,000
कुल 4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय		3,00,00,000

4. कुल मूल अनुदान 2024-25 **₹**

राजस्व		
स्वीकृत		21277,08,26,000
प्रभारित		...
पूंजीगत		
स्वीकृत		1780,70,00,000

प्रभारित	...
5. जोड़िए, अब अपेक्षित राशि	₹
	463,21,16,000
राजस्व	
स्वीकृत	460,21,16,000
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	3,00,00,000
प्रभारित	...
6. अब अपेक्षित राशि जोड़ने के बाद कुल अनुदान :-	₹
	23520,99,42,000
राजस्व	
स्वीकृत	21737,29,42,000
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	1783,70,00,000
प्रभारित	...
2202-सामान्य शिक्षा	
01-प्रारंभिक शिक्षा	
111-सर्वशिक्षा अभियान	
99-सर्व शिक्षा अभियान	
51-लागू नहीं	
स्वीकृत	115,79,54,000
<p>वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूल शिक्षा विभाग को केंद्रीय प्रायोजित योजना के भुगतान हेतु 115,79,54,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता थी।</p> <p>यह राशि हरियाणा आकस्मिकता निधि से निर्धारित की गई थी और इसकी प्रतिपूर्ति की जानी आवश्यक है।</p> <p>बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः 115,79,54,000/- रुपये की मांग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किश्त) के माध्यम से की जा रही है।</p> <p>यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।</p>	
2202-सामान्य शिक्षा	
01-प्रारंभिक शिक्षा	
793-अनुसूचित जातियों की घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	
99-सर्व शिक्षा अभियान	
51-लागू नहीं	
स्वीकृत	35,65,04,000

वित् वर्ष 2023-24 के दौरान समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूल शिक्षा विभाग को केंद्रीय प्रायोजित योजना के भुगतान हेतु 35,65,04,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता थी।

यह राशि हरियाणा आकस्मिकता निधि से निर्धारित की गई थी और इसकी प्रतिपूर्ति की जानी आवश्यक है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः 35,65,04,000/- रुपये की मांग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किश्त) के माध्यम से की जा रही है। यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

2202-सामान्य शिक्षा

02-माध्यमिक शिक्षा

109-राजकीय माध्यमिक विद्यालय

86-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

51-लागू नहीं

स्वीकृत

91,13,40,000

वित् वर्ष 2023-24 के दौरान समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूल शिक्षा विभाग को केंद्रीय प्रायोजित योजना के भुगतान हेतु 91,13,40,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता थी।

यह राशि हरियाणा आकस्मिकता निधि से निर्धारित की गई थी और इसकी प्रतिपूर्ति की जानी आवश्यक है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः 91,13,40,000/- रुपये की मांग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किश्त) के माध्यम से की जा रही है। यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

2202-सामान्य शिक्षा

02-माध्यमिक शिक्षा

793-अनुसूचित जातियों की घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता

98-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आर एम एस ए)

51-लागू नहीं

स्वीकृत

24,37,18,000

वित् वर्ष 2023-24 के दौरान समग्र शिक्षा अभियान के तहत स्कूल शिक्षा विभाग को केंद्रीय प्रायोजित योजना के भुगतान हेतु 24,37,18,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता थी।

यह राशि हरियाणा आकस्मिकता निधि से निर्धारित की गई थी और इसकी प्रतिपूर्ति की जानी आवश्यक है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः 24,37,18,000/- रुपये की मांग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किश्त) के माध्यम से की जा रही है। यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

02-समाज कल्याण

001-निदेशन तथा प्रशासन

97-मुख्यालय अमला (म.वा.वि.)

98-स्थापना खर्च

स्वीकृत

1,86,00,000

वर्ष 2024-25 के दौरान 2 परियोजना प्रबंधन इकाइयों के तहत हारटोन अनुबन्धित कर्मचारियों के संशोधित वेतन के अंतर्गत व्यय को पूरा करने के लिए 186,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किश्त) के माध्यम से 186,00,000/- का प्रावधान किया जा रहा है। यह एक राजस्व "स्वीकृत" व्यय की मद है।

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

02-समाज कल्याण

102-बाल कल्याण

92-समेकित बाल विकास परियोजना (म.बा.वि.)

51-लागू नहीं

स्वीकृत

15,00,00,000

वर्ष 2024-25 के दौरान माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 750/- रुपये और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 400/- रुपये बढ़ाया जाएगा और 4000 प्ले स्कूलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 01.04.2022 से अतिरिक्त मानदेय व्यय को पूरा करने के लिए 15,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (पहली किस्त) के माध्यम से 15,00,00,000/- का प्रावधान किया जा रहा है। यह (राजस्व) "स्वीकृत" व्यय की एक मद है।

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

02-समाज कल्याण

102-बाल कल्याण

62-

51-

स्वीकृत

14,88,00,000

यह एक नई केंद्र प्रायोजित योजना है। वर्ष 2024-25 के दौरान बाल सहायता लाइन योजना के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के वेतन व्यय को पूरा करने के लिए संविदात्मक एवं अन्य व्यय मदों में 14,88,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (पहली किस्त) के माध्यम से 14,88,00,000/- का प्रावधान किया जा रहा है। यह (राजस्व) "स्वीकृत" व्यय की एक मद है।

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

02-समाज कल्याण

102-बाल कल्याण

61-आंगनवाड़ी-कम-क्रेच (पालना)

51-लागू नहीं

स्वीकृत

1,20,000

यह एक नई केंद्र प्रायोजित साझा आधार योजना (60:40) है। वर्ष 2024-25 के दौरान चाइल्ड हेल्पलाइन योजना के लिए वेतन, किराया, प्रशिक्षण, मानदेय, विविध और खरीद वस्तु शीर्षों के व्यय को पूरा करने के लिए 1,20,000/- रुपये (केंद्रीय शेयर के रूप में) की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए इस नई योजना के रूप में कार्यव्यय करने के लिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 1,20,000/- का प्रावधान किया जा रहा है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" व्यय की मद है।

स्वीकृत

80,000

यह एक नई केंद्र प्रायोजित साझा आधार योजना (60:40) है। वर्ष 2024-25 के दौरान चाइल्ड हेल्पलाइन योजना के लिए वेतन, किराया, प्रशिक्षण, मानदेय, विविध और खरीद वस्तु शीर्षों के व्यय को पूरा करने के लिए 80,000/- रुपये (राज्य शेयर के रूप में) की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए इस नई योजना के रूप में कार्यव्यय करने के लिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 80,000/- का प्रावधान किया जा रहा है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" व्यय की मद है।

2236-पोषण

02-पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण

101-विशेष पोषण कार्यक्रम

95-पूरक पौषाहार कार्यक्रम

51-लागू नहीं

स्वीकृत

42,24,00,000

यह एक केन्द्र प्रायोजित शेयरिंग आधार (50:50) योजना है। वर्ष 2024-25 के दौरान एसएएम बच्चों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) के अंतर्गत 11.72 लाख लाभार्थियों के आधार पर व्यय को पूरा करने के लिए 42,24,00,000/- रुपये (केंद्रीय शेयर के रूप में) की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 42,24,00,000/- का प्रावधान किया जा रहा है। यह एक राजस्व "स्वीकृत" व्यय की मद है।

स्वीकृत

42,24,00,000

यह एक केन्द्र प्रायोजित शेयरिंग आधार (50:50) योजना है। वर्ष 2024-25 के दौरान एसएएम बच्चों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) के अंतर्गत 11.72 लाख लाभार्थियों के आधार पर व्यय को पूरा करने के लिए 42,24,00,000/- रुपये (राज्य शेयर के रूप में) की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 42,24,00,000/- का प्रावधान किया जा रहा है। यह एक राजस्व "स्वीकृत" व्यय की मद है।

2236-पोषण

02-पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण

101-विशेष पोषण कार्यक्रम

87-मल्टी सेक्टरल पोषण कार्यक्रम के लिए इस योजना के तहत - पोषण मातृ एवं शिशु संबोधित करने के लिए

51-लागू नहीं

स्वीकृत

40,00,00,000

वर्ष 2024-25 के दौरान 7,74,383 बच्चों (1 से 6 वर्ष) और 2,66,018 (गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माता) को मीठा सुगंधित स्किमड दूध पाउडर (सप्ताह में 2 दिन) दिए जाने की योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए व्यय को पूरा करने के लिए 40,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 40,00,00,000/- का प्रावधान किया जा रहा है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" व्यय की मद है।

2236-पोषण**02-पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण****789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना****98-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष पोषाहरक प्रोग्राम****51-लागू नहीं****स्वीकृत****5,00,00,000**

यह एक केन्द्र प्रायोजित शेयरिंग आधार (50:50) योजना है। वर्ष 2024-25 के दौरान एसएएम बच्चों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) के तहत 11.72 लाख लाभार्थियों के व्यय को पूरा करने के लिए 5,00,00,000/- (केंद्रीय शेयर के रूप में) रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 5,00,00,000/- का प्रावधान किया जा रहा है। यह एक राजस्व " स्वीकृत" व्यय की मद है।

स्वीकृत**5,00,00,000**

वर्ष 2024-25 के दौरान एसएएम बच्चों के लिए पूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) के तहत 11.72 लाख लाभार्थियों के व्यय को पूरा करने के लिए 5,00,00,000/- रुपये (राज्य शेयर के रूप में) की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 5,00,00,000/- का प्रावधान किया जा रहा है। यह (राजस्व) " स्वीकृत" व्यय की एक मद है।

2236-पोषण**80-सामान्य****102-पोषण शिक्षा और विस्तार****99-पोशन अभियान के लिए योजना****51-लागू नहीं****स्वीकृत****10,81,00,000**

यह एक केन्द्र प्रायोजित शेयरिंग आधार (60:40) योजना है। वर्ष 2024-25 के दौरान केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण अभियान के कार्यान्वयन के अंतर्गत व्यय को पूरा करने के लिए 10,81,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि (राज्य शेयर के रूप में) की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 10,81,00,000/- का प्रावधान किया जा रहा है। यह एक राजस्व " स्वीकृत" व्यय की मद है।

स्वीकृत**16,21,00,000**

यह एक केन्द्र प्रायोजित शेयरिंग आधार (60:40) योजना है। वर्ष 2024-25 के दौरान केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण अभियान के कार्यान्वयन के अंतर्गत व्यय को पूरा करने के लिए 16,21,00,000/- रुपये (केंद्रीय शेयर के रूप में) की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 16,21,00,000/- का प्रावधान किया जा रहा है। यह एक राजस्व " स्वीकृत" व्यय की मद है।

4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय**02-समाज कल्याण****102-बाल कल्याण****99-आंगनवाड़ी केन्द्र का निर्माण****98-राज्य अंशदान****स्वीकृत****3,00,00,000**

वर्ष 2024-25 के दौरान आंगनवाड़ी केन्द्रों की मरम्मत जिसके संबंध में जनसुनवाई पोर्टल पर बुनियादी ढांचे से संबंधित 30 शिकायतें लंबित हैं इसलिए आवश्यक व्यय को पूरा करने के लिए 300,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर विकास होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 300,00,000/- का प्रावधान किया जा रहा है। यह एक (पूंजीगत) "स्वीकृत" व्यय की मद है।

मांग संख्या 13

खेल/विरासत तथा पर्यटन
(पुरातत्व/ संग्रहालय/
पर्यटन)

वर्ष 2024-25 के अनुदानों और विनियोजनों की मांगों के विवरण पत्र का पृष्ठ (XIV-XIV) देखिए

1. मूल अनुदान

राजस्व

स्वीकृत: पाँच सौ पंचानबे करोड़ सात लाख चौरानबे हजार पाँच सौ रुपये

प्रभारित:

पूँजीगत

स्वीकृत: दो सौ अठानबे करोड़ पचास लाख रुपये

प्रभारित:

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध में खर्च को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष (प्रथम किस्त) में अपेक्षित राशि के अनुपूरक अनुमान :-

2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें

राजस्व

स्वीकृत तीस करोड़ रूपये

3452-पर्यटन

राजस्व

स्वीकृत पैतीस लाख रूपये

4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

पूँजीगत

स्वीकृत दो सौ एकतालीस करोड़ चौदह लाख रुपये

3. उप/लघु शीर्ष जिनके अधीन अनुपूरक अनुदानों का लेखा रखा जाएगा :-

2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें

51-लागू नहीं

104-खेलकूद

69-खेल नर्सरी

51-लागू नहीं

राजस्व

₹

स्वीकृत

(12) छात्रवृत्ति एवम वजीफे (R)

30,00,00,000

कुल	30,00,00,000
कुल 2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें	30,00,00,000
3452-पर्यटन	
80-सामान्य	
001-निदेशन तथा प्रशासन	
99-मुख्यालय अमला	
98-स्थापना खर्च	
राजस्व	₹
स्वीकृत	
(69) अनुबंधित सेवा (R)	35,00,000
कुल	35,00,000
कुल 3452-पर्यटन	35,00,000
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	
04-कला तथा संस्कृति	
106-संग्रहालय	
99-भवन (पुरातत्व)	
51-लागू नहीं	
पूंजीगत	₹
स्वीकृत	
(16) वृहत निर्माण कार्य (N)	241,14,00,000
कुल	241,14,00,000
कुल 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	241,14,00,000
4. कुल मूल अनुदान 2024-25	₹
राजस्व	
स्वीकृत	595,07,94,500
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	298,50,00,000
प्रभारित	...
5. जोड़िए, अब अपेक्षित राशि	₹
	271,49,00,000
राजस्व	
स्वीकृत	30,35,00,000

प्रभारित	...
पूँजीगत	
स्वीकृत	241,14,00,000
प्रभारित	...

6. अब अपेक्षित राशि जोड़ने के बाद कुल अनुदान :- ₹ 1165,06,94,500

राजस्व	
स्वीकृत	625,42,94,500
प्रभारित	...
पूँजीगत	
स्वीकृत	539,64,00,000
प्रभारित	...

2204-खेलकूद तथा युवा सेवायें

51-लागू नहीं

104-खेलकूद

69-खेल नर्सरी

51-लागू नहीं

स्वीकृत **30,00,00,000**

वर्ष 2024-25 के दौरान छात्रवृत्ति और वजीफे के तहत व्यय को पूरा करने के लिए 30,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए, रुपये की मांग, अनुपूरक अनुमान 2024-25 (पहली किस्त) के माध्यम से 30,00,00,000/- का प्रावधान किया जा रहा है।

यह राजस्व "स्वीकृत" व्यय की एक मद है।

3452-पर्यटन

80-सामान्य

001-निदेशन तथा प्रशासन

99-मुख्यालय अमला

98-स्थापना खर्च

स्वीकृत **35,00,000**

अनुबंधित सेवा के वेतन खर्च को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 35,00,000 रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का उपबन्ध नहीं किया जा सका। अतः 35,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह राजस्व 'स्वीकृत' खर्च की मद है।

4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय**04-कला तथा संस्कृति****106-संग्रहालय****99-भवन (पुरातत्व)****51-लागू नहीं****स्वीकृत****241,14,00,000**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान थेर माउन्ड सिरसा के निवासियों के पुनर्वास/बस्ती के लिए भूमि लागत का भुगतान करने तथा पूंजी परियोजना के लिए विशेष सहायता प्रदान करने हेतु 241,14,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः

241,14,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह एक पूंजीगत "स्वीकृत" खर्च की मद है।

मांग संख्या 14
स्वास्थ्य/चिकित्सा शिक्षा एवं
अनुसंधान/आयुष/खाद्य एवं
औषधि प्रशासन

वर्ष 2024-25 के अनुदानों और विनियोजनों की मांगों के विवरण पत्र का पृष्ठ (XV-XV) देखिए

1. मूल अनुदान

राजस्व

स्वीकृत: आठ हजार दो सौ बासठ करोड़ बावन लाख चौवन हजार रुपये

प्रभारित: पच्चीस लाख रुपये

पूंजीगत

स्वीकृत: दो हजार एक सौ पचहत्तर करोड़ तीन लाख रूपये

प्रभारित:

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध में खर्च को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष (प्रथम किस्त) में अपेक्षित राशि के अनुपूरक अनुमान :-

2210-चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य

राजस्व

स्वीकृत चार सौ बयासी करोड़ अस्सी लाख रुपये

4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

पूंजीगत

स्वीकृत चार सौ चौरासी करोड़ सत्तर लाख रुपये

6210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के लिए उधार

पूंजीगत

स्वीकृत एक सौ बीस करोड़ रुपये

3. उप/लघु शीर्ष जिनके अधीन अनुपूरक अनुदानों का लेखा रखा जाएगा :-

2210-चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य

01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी

102-कर्मचारी राज्य बीमा योजना

98-जिला अमला

98-स्थापना खर्च

राजस्व

₹

स्वीकृत

(66) निपूर्णता तथा विशेष सेवायें (R)

50,00,00,000

कुल

50,00,00,000

2210-चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य		
01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी		
110-अस्पताल व औषधालय		
38-मुख्यमन्त्री मुफ्त ईलाज योजना।		
99-पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत		
राजस्व		₹
स्वीकृत		
(09) सहायतानुदान सामान्य (N)		50,00,00,000
कुल		50,00,00,000
2210-चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य		
01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी		
190- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में सहायता		
99-चिरायु-आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा प्राधिकरण के माध्यम से 1.80 लाख या उससे कम आय वाले परिवार		
51-लागू नहीं		
राजस्व		₹
स्वीकृत		
(09) सहायतानुदान सामान्य (N)		350,00,00,000
कुल		350,00,00,000
2210-चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य		
05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान		
105-एलोपैथी		
82-भगत फूल सिंह महिला चिकित्सा महाविधालय खानपुर कोलेज (सोनीपत) की स्थापना		
51-लागू नहीं		
राजस्व		₹
स्वीकृत		
(01) वेतन (N)		5,00,00,000
(03) मँहगाई भत्ता (N)		1,50,00,000
(18) रख रखाव (N)		1,00,00,000
(67) चिकित्सा प्रतिपूर्ति (N)		15,00,000
(79) अनुग्रह (N)		15,00,000
कुल		7,80,00,000
2210-चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य		
05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान		
105-एलोपैथी		
81-मेवात मेडिकल कालेज नलहर का स्थापना खर्च		
51-लागू नहीं		

राजस्व	₹
स्वीकृत	
(01) वेतन (N)	3,00,00,000
(03) मँहगाई भत्ता (N)	4,00,00,000
(12) छात्रवृत्ति एवम वजीफे (N)	2,00,00,000
(18) रख रखाव (N)	50,00,000
(24) सामग्री तथा आपूर्ति (N)	2,00,00,000
(47) स्टोर तथा उपकरण (N)	50,00,000
(69) अनुबंधित सेवा (N)	7,50,00,000
(70) एल.टी.सी. (N)	50,00,000
कुल	20,00,00,000

2210-चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य
 05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
 105-एलोपैथी
 78-कल्पना चावला चिकित्सा महाविद्यालय, करनाल की स्थापना
 51-लागू नहीं

राजस्व	₹
स्वीकृत	
(12) छात्रवृत्ति एवम वजीफे (N)	50,00,000
(92) ऊर्जा प्रभार (N)	2,00,00,000
कुल	2,50,00,000

2210-चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य
 05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
 105-एलोपैथी
 76-मुख्यमंत्री मुफ्त ईलाज योजना
 99-कल्पना चावला गर्वनमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल

राजस्व	₹
स्वीकृत	
(24) सामग्री तथा आपूर्ति (N)	1,00,00,000
कुल	1,00,00,000

2210-चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य
 05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान
 105-एलोपैथी
 70-गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, छीसा (फरीदाबाद) की स्थापना
 51-लागू नहीं

राजस्व		₹
स्वीकृत		
(02) मजदूरी (N)	1,50,00,000	
कुल	1,50,00,000	
कुल 2210-चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य	482,80,00,000	
4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय		
01-शहरी स्वास्थ्य सेवाए		
110-अस्पताल व औषधालय		
99-भवन नाम बदल कर अवसंरचना/प्रशासनिक व्यय		
51-लागू नहीं		
पूंजीगत		₹
स्वीकृत		
(16) वृहत निर्माण कार्य (N)	201,59,00,000	
कुल	201,59,00,000	
4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय		
03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान		
105-ऐलोपैथी		
98-नलहर (मेवात) चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण		
97-भवन का निर्माण (राज्य अंशदान)		
पूंजीगत		₹
स्वीकृत		
(16) वृहत निर्माण कार्य (N)	12,00,00,000	
कुल	12,00,00,000	
4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय		
03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान		
105-ऐलोपैथी		
97-नलहर (मेवात) चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण		
98-भवन का निर्माण (राज्य अंशदान)		
पूंजीगत		₹
स्वीकृत		
(16) वृहत निर्माण कार्य (N)	5,00,00,000	
कुल	5,00,00,000	
4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय		
03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान		
105-ऐलोपैथी		
96-कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज करनाल का निर्माण		

51-लागू नहीं	
पूँजीगत	₹
स्वीकृत	
(16) वृहत निर्माण कार्य (N)	5,00,00,000
कुल	5,00,00,000
4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	
03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105-ऐलोपैथी	
94-जींद में मेडिकल कॉलेज का निर्माण	
51-लागू नहीं	
पूँजीगत	₹
स्वीकृत	
(16) वृहत निर्माण कार्य (N)	20,00,00,000
कुल	20,00,00,000
4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	
03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105-ऐलोपैथी	
93-भिवानी में राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण	
51-लागू नहीं	
पूँजीगत	₹
स्वीकृत	
(16) वृहत निर्माण कार्य (R)	6,00,00,000
कुल	6,00,00,000
4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	
03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105-ऐलोपैथी	
92-विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य स्वास्थ्य विज्ञान, करनाल	
99-भवन का निर्माण	
पूँजीगत	₹
स्वीकृत	
(16) वृहत निर्माण कार्य (N)	100,00,00,000
कुल	100,00,00,000
4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	
03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105-ऐलोपैथी	
91-पंडित बी डी शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय रोहतक के निर्माण कार्य हेतु।	

99-भवन का निर्माण		
पूँजीगत		₹
स्वीकृत		
(16) वृहत निर्माण कार्य (N)		10,00,00,000
कुल		10,00,00,000
4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय		
03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान		
105-एलोपैथी		
89-राज्य में नर्सिंग प्रशिक्षण विद्यालयों / कॉलेजों के निर्माण कार्य हेतु।		
99-भवन का निर्माण		
पूँजीगत		₹
स्वीकृत		
(16) वृहत निर्माण कार्य (N)		20,00,00,000
कुल		20,00,00,000
4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय		
03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान		
105-एलोपैथी		
83-सरकारी मेडिकल कॉलेज, कैथल का निर्माण		
51-लागू नहीं		
पूँजीगत		₹
स्वीकृत		
(16) वृहत निर्माण कार्य (R)		25,00,00,000
कुल		25,00,00,000
4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय		
03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान		
105-एलोपैथी		
82-सरकारी मेडिकल कॉलेज, यमुनानगर का निर्माण		
51-लागू नहीं		
पूँजीगत		₹
स्वीकृत		
(16) वृहत निर्माण कार्य (R)		25,00,00,000
कुल		25,00,00,000
4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय		
04-लोक स्वास्थ्य		
107-लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं		
99-स्टेट ड्रग रेक्यूलेटरी सिस्टम को मजबूत करना		

51-लागू नहीं	
पूँजीगत	₹
स्वीकृत	
(47) स्टोर तथा उपकरण (N)	55,11,00,000
कुल	55,11,00,000
कुल 4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	484,70,00,000
6210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के लिए उधार	
03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	
105-एलोपैथी	
98-पंडित बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक	
51-लागू नहीं	
पूँजीगत	₹
स्वीकृत	
(23) कर्जे (N)	120,00,00,000
कुल	120,00,00,000
कुल 6210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के लिए उधार	120,00,00,000
4. कुल मूल अनुदान 2024-25	₹
राजस्व	
स्वीकृत	8262,52,54,000
प्रभारित	25,00,000
पूँजीगत	
स्वीकृत	2175,03,00,000
प्रभारित	...
5. जोड़िए, अब अपेक्षित राशि	₹
	1087,50,00,000
राजस्व	
स्वीकृत	482,80,00,000
प्रभारित	...
पूँजीगत	
स्वीकृत	604,70,00,000
प्रभारित	...
6. अब अपेक्षित राशि जोड़ने के बाद कुल अनुदान :-	₹

11525,30,54,000

राजस्व	
स्वीकृत	8745,32,54,000
प्रभारित	25,00,000
पूँजीगत	
स्वीकृत	2779,73,00,000
प्रभारित	...

2210-चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य

01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी

102-कर्मचारी राज्य बीमा योजना

98-जिला अमला

98-स्थापना खर्च

स्वीकृत **50,00,00,000**

वित्त वर्ष 2024-25 में बीमित व्यक्तियों और उनके परिवार के लिए पैनल में शामिल अस्पतालों के लंबित बिलों के भुगतान हेतु 50,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 50,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है।

यह "स्वीकृत" राजस्व खर्च की मद है।

2210-चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य

01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी

110-अस्पताल व औषधालय

38-मुख्यमन्त्री मुफ्त ईलाज योजना।

99-पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत

स्वीकृत **50,00,00,000**

वित्त वर्ष 2024-25 में मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत राज्य के नागरिकों को डायलिसिस की मुफ्त सुविधा प्रदान करने के लिए 50,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 50,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है।

यह "स्वीकृत" राजस्व खर्च की मद है।

2210-चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य

01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी

190- सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों में सहायता

99-चिरायु-आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य सुरक्षा प्राधिकरण के माध्यम से 1.80 लाख या उससे कम आय वाले परिवार

51-लागू नहीं

स्वीकृत **350,00,00,000**

वित्त वर्ष 2024-25 में चिरायु योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों के लंबित बिलों के भुगतान के लिए 350,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 350,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है। यह "स्वीकृत" राजस्व खर्च की मद है।

2210-चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य

05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

105-एलोपैथी

82-भगत फूल सिंह महिला चिकित्सा महाविद्यालय खानपुर कोलेज (सोनीपत) की स्थापना

51-लागू नहीं

स्वीकृत

7,80,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में वेतन, महंगाई भत्ता, रखरखाव, चिकित्सा प्रतिपूर्ति और अनुग्रह राशि के व्यय को पूरा करने के लिए योजना के तहत 7,80,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए, अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 7,80,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है। यह राजस्व "स्वीकृत" व्यय का एक मद है।

2210-चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य

05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

105-एलोपैथी

81-मेवात मेडिकल कालेज नलहर का स्थापना खर्च

51-लागू नहीं

स्वीकृत

20,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में वेतन, महंगाई भत्ता एवं रख-रखाव के मद में होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए योजना के अंतर्गत 20,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 20,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है। यह राजस्व "स्वीकृत" व्यय का एक मद है।

2210-चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य

05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

105-एलोपैथी

78-कल्पना चावला चिकित्सा महाविद्यालय, करनाल की स्थापना

51-लागू नहीं

स्वीकृत

2,50,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सरकारी मेडिकल कॉलेज में छात्रवृत्ति और वजीफा तथा ऊर्जा शुल्क के कारण होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए योजना के तहत 2,50,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 2,50,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है। यह राजस्व "स्वीकृत" व्यय का एक मद है।

2210-चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य

05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

105-एलोपैथी

76-मुख्यमंत्री मुफ्त ईलाज योजना

99-कल्पना चावला गर्वनमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल

स्वीकृत

1,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान दवाओं की खरीद के लिए सामग्री और आपूर्ति के कारण होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए योजना के तहत 1,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (पहली किस्त) के माध्यम से 1,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है। यह राजस्व "स्वीकृत" व्यय का एक मद है।

2210-चिकित्सा तथा लोक-स्वास्थ्य

05-चिकित्सा शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

105-एलोपैथी

70-गर्वनमेंट मेडिकल कॉलेज, छींसा (फरीदाबाद) की स्थापना

51-लागू नहीं

स्वीकृत

1,50,00,000

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान होमगार्ड के भुगतान के व्यय को पूरा करने के लिए 1,50,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 1,50,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है। यह राजस्व "स्वीकृत" व्यय का एक मद है।

4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं

110-अस्पताल व औषधालय

99-भवन नाम बदल कर अवसंरचना/प्रशासनिक व्यय

51-लागू नहीं

स्वीकृत

201,59,00,000

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत सरकार की "पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2024-25" योजना के लिए 201,59,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 201,59,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है।

यह "स्वीकृत" पूंजीगत खर्च की मद है।

4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

105-एलोपैथी

98-नलहर (मेवात) चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण

97-भवन का निर्माण (राज्य अंशदान)

स्वीकृत

12,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजकीय मेडिकल कॉलेज में प्रमुख कार्यों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए योजना के तहत 12,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 12,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है। यह पूंजीगत "स्वीकृत" व्यय की एक मद है।

4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

105-एलोपैथी

97-नलहर (मेवात) चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण

98-भवन का निर्माण (राज्य अंशदान)

स्वीकृत

5,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजकीय मेडिकल कॉलेज में प्रमुख कार्यों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए योजना के तहत 5,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 5,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है। यह पूंजीगत "स्वीकृत" व्यय की एक मद है।

4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

105-एलोपैथी

96-कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज करनाल का निर्माण

51-लागू नहीं

स्वीकृत

5,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में प्रमुख कार्यों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए योजना के तहत 5,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 5,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है। यह पूंजीगत "स्वीकृत" व्यय की एक मद है।

4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

105-एलोपैथी

94-जींद में मेडिकल कॉलेज का निर्माण

51-लागू नहीं

स्वीकृत

20,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में प्रमुख कार्यों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए योजना के तहत 20,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 20,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है। यह पूंजीगत "स्वीकृत" व्यय का एक मद है।

4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

105-एलोपैथी

93-भिवानी में राजकीय मेडिकल कॉलेज का निर्माण

51-लागू नहीं

स्वीकृत

6,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भिवानी में राजकीय मेडिकल कॉलेज में प्रमुख कार्यों के कारण व्यय को पूरा करने के लिए योजना के तहत 6,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए पूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 6,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है। यह पूंजीगत "स्वीकृत" व्यय की एक मद है।

4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

105-एलोपैथी

92-विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य स्वास्थ्य विज्ञान, करनाल

99-भवन का निर्माण

स्वीकृत

100,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में प्रमुख कार्यों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए योजना के तहत 100,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 100,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है। यह पूंजीगत "स्वीकृत" व्यय का एक मद है।

4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

105-एलोपैथी

91-पंडित बी डी शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय रोहतक के निर्माण कार्य हेतु।

99-भवन का निर्माण

स्वीकृत

10,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में प्रमुख कार्यों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए योजना के तहत 10,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 10,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है। यह पूंजीगत "स्वीकृत" व्यय का एक मद है।

4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

105-एलोपैथी

89-राज्य में नर्सिंग प्रशिक्षण विद्यालयों / कॉलेजों के निर्माण कार्य हेतु।

99-भवन का निर्माण

स्वीकृत

20,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नर्सिंग प्रशिक्षण स्कूलों/कॉलेजों में प्रमुख कार्यों के कारण होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए योजना के तहत 20,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (पहली किस्त) के माध्यम से 20,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है। यह पूंजीगत "स्वीकृत" व्यय का एक मद है।

4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

105-एलोपैथी

83-सरकारी मेडिकल कॉलेज, कैथल का निर्माण

51-लागू नहीं

स्वीकृत

25,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में प्रमुख कार्यों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए योजना के तहत 25,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 25,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है। यह पूंजीगत "स्वीकृत" व्यय का एक मद है।

4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

105-एलोपैथी

82-सरकारी मेडिकल कॉलेज, यमुनानगर का निर्माण

51-लागू नहीं

स्वीकृत

25,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में प्रमुख कार्यों के लिए व्यय को पूरा करने के लिए योजना के तहत 25,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 25,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है। यह पूंजीगत "स्वीकृत" व्यय का एक मद है।

4210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

04-लोक स्वास्थ्य

107-लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं

99-स्टेट ड्रग रेक्यूलेटरी सिस्टम को मजबूत करना

51-लागू नहीं

स्वीकृत

55,11,00,000

वित्त वर्ष 2024-25 में भारत सरकार की "पूँजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2024-25" योजना के लिए 55,11,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 55,11,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है।

यह पूंजीगत "स्वीकृत" व्यय की एक मद है।

6210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के लिए उधार

03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

105-एलोपैथी

98-पंडित बी.डी. शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक

51-लागू नहीं

स्वीकृत

120,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राजकीय मेडिकल विश्वविद्यालय में प्रमुख कार्यों के कारण व्यय को पूरा करने के लिए योजना के तहत 120,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 120,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है। यह पूंजीगत "स्वीकृत" व्यय का एक मद है।

मांग संख्या 15
श्रम/युवा सशक्तिकरण एवं
उद्यमिता (कौशल विकास
एवं औद्योगिक प्रशिक्षण/
रोजगार/ युवा मामले)

वर्ष 2024-25 के अनुदानों और विनियोजनों की मांगों के विवरण पत्र का पृष्ठ (XVI-XVI) देखिए

1. मूल अनुदान

राजस्व

स्वीकृत: एक हजार एक सौ अठहत्तर करोड़ चौहत्तर लाख छत्तीस हजार रूपये

प्रभारित:

पूँजीगत

स्वीकृत: दो सौ पैसठ करोड़ अठहत्तर लाख रुपये

प्रभारित:

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध में खर्च को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष (प्रथम किस्त) में अपेक्षित राशि के अनुपूरक अनुमान :-

2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास

राजस्व

स्वीकृत तीस करोड़ रुपये

3. उप/लघु शीर्ष जिनके अधीन अनुपूरक अनुदानों का लेखा रखा जाएगा :-

2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास

03-प्रशिक्षण

190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों के लिए सहायता

96-ठेकेदार सक्षम युवा योजना

51-लागू नहीं

राजस्व

₹

स्वीकृत

(09) सहायतानुदान सामान्य (N)

30,00,00,000

कुल

30,00,00,000

कुल 2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास

30,00,00,000

4. कुल मूल अनुदान 2024-25

₹

राजस्व

स्वीकृत	1178,74,36,000
प्रभारित	...
पूँजीगत	
स्वीकृत	265,78,00,000
प्रभारित	...

5. जोड़िए, अब अपेक्षित राशि **₹**
30,00,00,000

राजस्व	
स्वीकृत	30,00,00,000
प्रभारित	...
पूँजीगत	
स्वीकृत	...
प्रभारित	...

6. अब अपेक्षित राशि जोड़ने के बाद कुल अनुदान :- **₹**
1474,52,36,000

राजस्व	
स्वीकृत	1208,74,36,000
प्रभारित	...
पूँजीगत	
स्वीकृत	265,78,00,000
प्रभारित	...

2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास

03-प्रशिक्षण

190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों के लिए सहायता

96-ठेकेदार सक्षम युवा योजना

51-लागू नहीं

स्वीकृत **30,00,00,000**

यह एक नई राज्य योजना है। वित् वर्ष 2024-25 के दौरान ठेकेदार सक्षम युवा योजना के तहत 10000 युवाओं के प्रशिक्षण हेतु व्यय को पूरा करने के लिए 30,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय के कारण इस राशि की व्यवस्था बजट अनुमान 2024-25 में नहीं की जा सकी। अतः 30,00,00,000/- रुपए की राशि की मांग अनुपूरक अनुमान 2024-25 में (प्रथम किस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

मांग संख्या 16
सामाजिक न्याय,
सशक्तिकरण /अनुसूचित
जातियों तथा पिछड़े वर्गों का
कल्याण एवं अन्तोदय/भूतपूर्व
सैनिकों का कल्याण

वर्ष 2024-25 के अनुदानों और विनियोजनों की मांगों के विवरण पत्र का पृष्ठ (XVII-XVII) देखिए

1.मूल अनुदान

राजस्व

स्वीकृत: एक हजार बीस सौ इकसठ करोड़ सत्तानबे लाख उनसठ हजार रुपये

प्रभारित:

पूँजीगत

स्वीकृत: उनचास करोड़ इक्यावन लाख बीस हजार रुपये

प्रभारित:

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध में खर्च को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष (प्रथम किस्त) में अपेक्षित राशि के अनुपूरक अनुमान :-

2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण

राजस्व

स्वीकृत अड़तीस करोड़ एक लाख रूपये

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

राजस्व

स्वीकृत एक हजार तिरासी करोड़ तिरसठ लाख रूपये

3. उप/लघु शीर्ष जिनके अधीन अनुपूरक अनुदानों का लेखा रखा जाएगा :-

2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण

01-अनुसूचित जातियों का कल्याण

001-निदेशन तथा प्रशासन

99-मुख्यालय अमला

98-स्थापना खर्च

राजस्व

₹

स्वीकृत

(01) वेतन (R)

80,00,000

(03) मँहगाई भत्ता (R)

45,00,000

कुल

1,25,00,000

2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	
01-अनुसूचित जातियों का कल्याण	
001-निदेशन तथा प्रशासन	
98-जिला अमला	
51-लागू नहीं	
राजस्व	₹
स्वीकृत	
(01) वेतन (R)	2,00,00,000
(03) मँहगाई भत्ता (R)	1,10,00,000
(51) मुआवजा (R)	2,20,00,000
कुल	5,30,00,000
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	
01-अनुसूचित जातियों का कल्याण	
190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	
98-हरियाणा केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड की स्थापना	
51-लागू नहीं	
राजस्व	₹
स्वीकृत	
(09) सहायतानुदान सामान्य (N)	59,00,000
कुल	59,00,000
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	
01-अनुसूचित जातियों का कल्याण	
277-शिक्षा	
99-अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिक उपरान्त छात्रवृति	
51-लागू नहीं	
राजस्व	₹
स्वीकृत	
(88) संगणना (सूचना प्रौद्योगिकी) (N)	87,00,000
कुल	87,00,000
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	
01-अनुसूचित जातियों का कल्याण	
800-अन्य व्यय	
82-मुखमंत्री विवाह शगुन योजना	
51-लागू नहीं	
राजस्व	₹
स्वीकृत	

(34) अन्य प्रभार (N)	30,00,00,000
कुल	30,00,00,000
कुल 2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	38,01,00,000
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	
02-समाज कल्याण	
001-निर्देशन तथा प्रशासन	
99-मुख्यालयों के लिए अमला (सा.न्या.अ.)	
98-स्थापना खर्च	
राजस्व	₹
स्वीकृत	
(01) वेतन (R)	30,00,000
(03) मँहगाई भत्ता (R)	15,00,000
(06) किराया दरें तथा कर (R)	15,00,000
(33) व्यवसाय तथा विशेष सेवा (R)	5,00,000
(69) अनुबंधित सेवा (R)	5,00,000
कुल	70,00,000
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	
02-समाज कल्याण	
102-बाल कल्याण	
99-निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता	
51-लागू नहीं	
राजस्व	₹
स्वीकृत	
(27) पेंशन (N)	27,00,00,000
कुल	27,00,00,000
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	
02-समाज कल्याण	
104-वृद्ध अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण	
90-हरियाणा माता पिता भरण पोषण और वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम 2009 के अधीन भरण पोषण एवं अपीलों अधिनियम के संचालन बारे	
51-लागू नहीं	
राजस्व	₹
स्वीकृत	
(87) मानदेय (N)	8,00,000
कुल	8,00,000
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	

02-समाज कल्याण		
199-अन्य गैर सरकारी संस्थानों के लिए सहायता		
97-वरिष्ठ नागरिक कल्याण के लिए एनजीओ/वीओ/ट्रस्ट/सोसाइटी/कॉरपोरेट्स को अनुदान सहायता		
51-लागू नहीं		
राजस्व		₹
स्वीकृत		
(09) सहायतानुदान सामान्य (N)		80,00,000
कुल		80,00,000
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण		
02-समाज कल्याण		
789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		
91-अनुसूचित जातियों के परिवारों के निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता		
51-लागू नहीं		
राजस्व		₹
स्वीकृत		
(27) पेंशन (N)		6,00,00,000
कुल		6,00,00,000
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण		
60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम		
102-सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन		
98-वृद्धावस्था सम्मान भत्ता स्कीम		
51-लागू नहीं		
राजस्व		₹
स्वीकृत		
(27) पेंशन (N)		800,00,00,000
(89) विविध (N)		10,00,00,000
कुल		810,00,00,000
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण		
60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम		
102-सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन		
96-निराश्रित महिलाओं और विधवा को वित्तीय सहायता		
51-लागू नहीं		
राजस्व		₹
स्वीकृत		
(27) पेंशन (N)		135,00,00,000
कुल		135,00,00,000

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण		
60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम		
102-सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन		
95-अलग से सक्षम व्यक्ति को पेंशन		
51-लागू नहीं		
राजस्व		₹
स्वीकृत		
(27) पेंशन (N)		30,00,00,000
कुल		30,00,00,000
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण		
60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम		
102-सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन		
94-राजीव गांधी परिवार बीमा योजना		
51-लागू नहीं		
राजस्व		₹
स्वीकृत		
(34) अन्य प्रभार (N)		25,00,000
कुल		25,00,000
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण		
60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम		
102-सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन		
93-लाडली (सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना)		
51-लागू नहीं		
राजस्व		₹
स्वीकृत		
(27) पेंशन (N)		1,00,00,000
कुल		1,00,00,000
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण		
60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम		
102-सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन		
87-चरण III और IV के कैंसर रोगियों के लिए वित्तीय सहायता		
51-लागू नहीं		
राजस्व		₹
स्वीकृत		
(27) पेंशन (N)		3,30,00,000
कुल		3,30,00,000

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	
60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम	
789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
99-अनुसूचित जाति के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता	
51-लागू नहीं	

राजस्व ₹

स्वीकृत

(27) पेंशन (N) 60,00,00,000

कुल **60,00,00,000**

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	
60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम	
789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
98-निराश्रित महिलाओं और विधवाओं (अनुसूचित जाति) को वित्तीय सहायता	
51-लागू नहीं	

राजस्व ₹

स्वीकृत

(27) पेंशन (N) 9,00,00,000

कुल **9,00,00,000**

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	
60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम	
789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
95-अनुसूचित जातियों के लिए लाडली (सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना)	
51-लागू नहीं	

राजस्व ₹

स्वीकृत

(27) पेंशन (N) 50,00,000

कुल **50,00,000**

कुल 2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण **1083,63,00,000**

4. कुल मूल अनुदान 2024-25 ₹

राजस्व

स्वीकृत 12061,97,59,000

प्रभारित ...

पूजीगत

स्वीकृत 49,51,20,000

प्रभारित	...
5. जोड़िए, अब अपेक्षित राशि	₹
	1121,64,00,000
राजस्व	
स्वीकृत	1121,64,00,000
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	...
प्रभारित	...
6. अब अपेक्षित राशि जोड़ने के बाद कुल अनुदान :-	₹
	13233,12,79,000
राजस्व	
स्वीकृत	13183,61,59,000
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	49,51,20,000
प्रभारित	...
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	
01-अनुसूचित जातियों का कल्याण	
001-निदेशन तथा प्रशासन	
99-मुख्यालय अमला	
98-स्थापना खर्च	
स्वीकृत	1,25,00,000
<p>वर्ष 2024-25 के दौरान मुख्यालय स्तर पर वेतन, डीए के अंतर्गत व्यय को पूरा करने के लिए 1,25,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण, बजट अनुमान 2024-25 में प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए, अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्ता) के माध्यम से 1,25,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है। यह राजस्व "स्वीकृत" व्यय का एक मद है।</p>	
2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	
01-अनुसूचित जातियों का कल्याण	
001-निदेशन तथा प्रशासन	
98-जिला अमला	
51-लागू नहीं	
स्वीकृत	5,30,00,000

वर्ष 2024-25 के दौरान जिला स्तर पर वेतन, डीए के अंतर्गत व्यय को पूरा करने तथा शोक संतप्त परिवारों को मुआवजा देने के लिए 5,30,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर विकास होने के कारण, बजट अनुमान 2024-25 में प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए, अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 5,30,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है। यह राजस्व "स्वीकृत" व्यय का एक मद है।

2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण

01-अनुसूचित जातियों का कल्याण

190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता

98-हरियाणा केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड की स्थापना

51-लागू नहीं

स्वीकृत

59,00,000

वर्ष 2024-25 के दौरान हरियाणा केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड के वेतन, कार्यालय किराया एवं अन्य कार्यालय व्यय को पूरा करने के लिए 59,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय के कारण, बजट अनुमान 2024-25 में प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए, अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 59,00,000/- रुपए की मांग की जा रही है। यह राजस्व "स्वीकृत" व्यय का एक मद है।

2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण

01-अनुसूचित जातियों का कल्याण

277-शिक्षा

99-अनुसूचित जाति के लिए मैट्रिक उपरान्त छात्रवृत्ति

51-लागू नहीं

स्वीकृत

87,00,000

यह केंद्र प्रायोजित साझा आधार योजना है। वर्ष 2024-25 के दौरान अनुसूचित जातियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के समुचित क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक व्यय पर व्यय को पूरा करने के लिए 87,00,000/- रुपये (केंद्रीय शेयर के रूप में) की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय के कारण, बजट अनुमान 2024-25 में प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए, अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 87,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है।

यह राजस्व "स्वीकृत" व्यय का एक मद है।

2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण

01-अनुसूचित जातियों का कल्याण

800-अन्य व्यय

82-मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना

51-लागू नहीं

स्वीकृत

30,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभार्थियों को लंबित देनदारियों का भुगतान करने के एवज में 30,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण, बजट अनुमान 2024-25 में प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए, अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 30,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है।

यह राजस्व "स्वीकृत" व्यय का एक मद है।

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

02-समाज कल्याण

001-निर्देशन तथा प्रशासन

99-मुख्यालयों के लिए अमला (सा.न्या.अ.)

98-स्थापना खर्च

स्वीकृत

70,00,000

वर्ष 2024-25 के दौरान वेतन, डीए, आरआरटी, व्यावसायिक और संविदात्मक सेवाओं के अंतर्गत व्यय को पूरा करने के लिए 70,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर विकास होने के कारण, बजट अनुमान 2024-25 में प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए, अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 70,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है। यह राजस्व "स्वीकृत" व्यय का एक मद है।

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

02-समाज कल्याण

102-बाल कल्याण

99-निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता

51-लागू नहीं

स्वीकृत

27,00,00,000

वर्ष 2024-25 के दौरान लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि और बकाया राशि के वितरण के लिए 27,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर विकास होने के कारण, बजट अनुमान 2024-25 में प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए, अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 27,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है। यह एक राजस्व "स्वीकृत" व्यय का मद है।

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

02-समाज कल्याण

104-वृद्ध अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण

90-हरियाणा माता पिता भरण पोषण और वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम 2009 के अधीन भरण पोषण एवं अपीलों अधिनियम के संचालन बारे

51-लागू नहीं

स्वीकृत

8,00,000

वर्ष 2024-25 के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के लिए भरण-पोषण एवं अपीलीय न्यायाधिकरण योजना के संचालन के अंतर्गत जिला स्तर पर लंबित बकाया राशि के व्यय को पूरा करने के लिए 8,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण, बजट अनुमान 2024-25 में प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए, अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 8,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है। यह एक राजस्व "स्वीकृत" व्यय का मद है।

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

02-समाज कल्याण

199-अन्य गैर सरकारी संस्थानों के लिए सहायता

97-वरिष्ठ नागरिक कल्याण के लिए एनजीओ/वीओ/ट्रस्ट/सोसाइटी/कॉरपोरेट्स को अनुदान सहायता

51-लागू नहीं

स्वीकृत

80,00,000

यह एक नई राज्य योजना है। वर्ष 2024-25 के दौरान समर्थ वृद्ध सेवा आश्रम योजना के कार्यान्वयन के लिए 80,00,000/- रुपये की राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण, बजट अनुमान 2024-25 में प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए, अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 80,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" व्यय का मद है।

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

02-समाज कल्याण

789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

91-अनुसूचित जातियों के परिवारों के निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता

51-लागू नहीं

स्वीकृत

6,00,00,000

वर्ष 2024-25 के दौरान लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि और बकाया राशि के वितरण के कारण 6,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण, बजट अनुमान 2024-25 में प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए, अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 6,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" व्यय का मद है।

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

102-सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन

98-वृद्धावस्था सम्मान भत्ता स्कीम

51-लागू नहीं

स्वीकृत

810,00,00,000

वर्ष 2024-25 के दौरान लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि, बकाया राशि के वितरण तथा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के वितरण हेतु बैंकों को कमीशन के भुगतान के लिए 810,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण, बजट अनुमान 2024-25 में प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए, अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 810,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" व्यय का मद है।

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

102-सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन

96-निराश्रित महिलाओं और विधवा को वित्तीय सहायता

51-लागू नहीं

स्वीकृत

135,00,00,000

वर्ष 2024-25 के दौरान लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि और बकाया राशि के वितरण के कारण 135,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।
बजटोत्तर निर्णय होने के कारण, बजट अनुमान 2024-25 में प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए, अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 135,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है। यह एक राजस्व "स्वीकृत" व्यय का मद है।

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

102-सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन

95-अलग से सक्षम व्यक्ति को पेंशन

51-लागू नहीं

स्वीकृत

30,00,00,000

वर्ष 2024-25 के दौरान लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि और बकाया राशि के वितरण के कारण 30,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।
बजटोत्तर निर्णय होने के कारण, बजट अनुमान 2024-25 में प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए, अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 30,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है। यह एक राजस्व "स्वीकृत" व्यय का मद है।

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

102-सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन

94-राजीव गांधी परिवार बीमा योजना

51-लागू नहीं

स्वीकृत

25,00,000

वर्ष 2024-25 के दौरान राजीव गांधी बीमा योजना के अंतर्गत लंबित मामलों के व्यय को पूरा करने के लिए 25,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।
बजटोत्तर निर्णय होने के कारण, बजट अनुमान 2024-25 में प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए, अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 25,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है। यह राजस्व "स्वीकृत" व्यय का एक मद है।

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

102-सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन

93-लाडली (सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना)

51-लागू नहीं

स्वीकृत

1,00,00,000

वर्ष 2024-25 के दौरान लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि और बकाया राशि के वितरण के कारण 1,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।
बजटोत्तर निर्णय होने के कारण, बजट अनुमान 2024-25 में प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए, अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 1,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है। यह एक राजस्व "स्वीकृत" व्यय का मद है।

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

102-सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन

87-चरण III और IV के कैंसर रोगियों के लिए वित्तीय सहायता

51-लागू नहीं

स्वीकृत

3,30,00,000

यह एक नई राज्य योजना है। वर्ष 2024-25 के दौरान तीसरे और चौथे चरण के कैंसर रोगियों को वित्तीय सहायता देने के लिए 3,30,00,000/- रुपये की राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण, बजट अनुमान 2024-25 में प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए, पूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 3,30,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है। यह एक राजस्व "स्वीकृत" व्यय का मद है।

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

99-अनुसूचित जाति के लिए वृद्धावस्था सम्मान भत्ता

51-लागू नहीं

स्वीकृत

60,00,00,000

वर्ष 2024-25 के दौरान लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि और बकाया राशि के वितरण के कारण 60,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण, बजट अनुमान 2024-25 में प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए, अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 60,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है। यह एक राजस्व "स्वीकृत" व्यय का मद है।

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

98-निराश्रित महिलाओं और विधवाओं (अनुसूचित जाति) को वित्तीय सहायता

51-लागू नहीं

स्वीकृत

9,00,00,000

वर्ष 2024-25 के दौरान लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि और बकाया राशि के वितरण के कारण 9,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण, बजट अनुमान 2024-25 में प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए, अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 9,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है। यह एक राजस्व "स्वीकृत" व्यय का मद है।

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण

60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

95-अनुसूचित जातियों के लिए लाडली (सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना)

51-लागू नहीं

स्वीकृत

50,00,000

वर्ष 2024-25 के दौरान लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि और बकाया राशि के वितरण के कारण 50,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।
बजटोत्तर निर्णय होने के कारण, बजट अनुमान 2024-25 में प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए, अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 50,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है।
यह एक राजस्व "स्वीकृत" व्यय का मद है।

मांग संख्या 17
लोक निर्माण (भवन व
सड़कें) / परिवहन / नागर
विमानन

वर्ष 2024-25 के अनुदानों और विनियोजनों की मांगों के विवरण पत्र का पृष्ठ (XVIII-XIX) देखिए

1. मूल अनुदान

राजस्व

स्वीकृत: चार हजार आठ सौ सात करोड़ सोलह लाख साठ हजार रुपये

प्रभारित: पाँच लाख रुपये

पूँजीगत

स्वीकृत: चार हजार एक सौ इक्यानबे करोड़ छप्पन लाख रुपये

प्रभारित: अस्सी करोड़ रुपये

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध में खर्च को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष (प्रथम किस्त) में अपेक्षित राशि के अनुपूरक अनुमान :-

2041-वाहन कर

राजस्व

स्वीकृत पाँच करोड़ पचहत्तर लाख रुपये

2059-लोक निर्माण-कार्य

राजस्व

स्वीकृत एक सौ तेईस करोड़ बीस लाख रुपये

2216-आवास

राजस्व

स्वीकृत चौबीस करोड़ रुपये

3054-सड़क तथा सेतु

राजस्व

स्वीकृत चार सौ बीस करोड़ रुपये

3055-सड़क परिवहन

राजस्व

स्वीकृत सत्तासी करोड़ सत्तर लाख रुपये

4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

पूँजीगत

स्वीकृत पाँच करोड़ रुपये

5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय

पूँजीगत

स्वीकृत

सत्रह करोड़ साठ लाख बीस हजार रूपये

3. उप/लघु शीर्ष जिनके अधीन अनुपूरक अनुदानों का लेखा रखा जाएगा :-

2041-वाहन कर

51-लागू नहीं

102-मोटर वाहनों का निरीक्षण

99-निरीक्षण अमला

51-लागू नहीं

राजस्व

₹

स्वीकृत

(05) कार्यालय खर्चे (R)

1,20,00,000

(21) मोटर वाहन (R)

2,00,00,000

(34) अन्य प्रभार (R)

1,80,00,000

(67) चिकित्सा प्रतिपूर्ति (R)

75,00,000

कुल

5,75,00,000

कुल 2041-वाहन कर

5,75,00,000

2059-लोक निर्माण-कार्य

80-सामान्य

001-निर्देशन तथा प्रशासन

99-निर्देशन

51-लागू नहीं

राजस्व

₹

स्वीकृत

(87) मानदेय (R)

12,00,000

कुल

12,00,000

2059-लोक निर्माण-कार्य

80-सामान्य

001-निर्देशन तथा प्रशासन

97-पर्यवेक्षण

51-लागू नहीं

राजस्व

₹

स्वीकृत

(69) अनुबंधित सेवा (R)

5,00,000

कुल

5,00,000

2059-लोक निर्माण-कार्य

80-सामान्य		
001-निदेशन तथा प्रशासन		
96-निष्पादन		
51-लागू नहीं		
राजस्व		₹
स्वीकृत		
(01) वेतन (R)	20,00,00,000	
(67) चिकित्सा प्रतिपूर्ति (R)	8,00,00,000	
(69) अनुबंधित सेवा (R)	45,00,00,000	
कुल	73,00,00,000	
2059-लोक निर्माण-कार्य		
80-सामान्य		
001-निदेशन तथा प्रशासन		
94-भूमि अभिग्रहण अधिकारी		
51-लागू नहीं		
राजस्व		₹
स्वीकृत		
(79) अनुग्रह (R)	3,00,000	
कुल	3,00,000	
2059-लोक निर्माण-कार्य		
80-सामान्य		
053-रखरखाव तथा मरम्मत		
99-संधारण तथा मुरम्मतें		
51-लागू नहीं		
राजस्व		₹
स्वीकृत		
(17) लघु निर्माण कार्य (R)	50,00,00,000	
कुल	50,00,00,000	
कुल 2059-लोक निर्माण-कार्य	123,20,00,000	
2216-आवास		
05-साधारण पूल आवास		
053-रख-रखाव तथा मरम्मत		
99-अन्य मरम्मत खर्च		
88-साधारण मरम्मत तथा रखरखाव		
राजस्व		₹
स्वीकृत		

(18) रख रखाव (R)	20,00,00,000
कुल	20,00,00,000
2216-आवास	
05-साधारण पूल आवास	
053-रख-रखाव तथा मरम्मत	
99-अन्य मरम्मत खर्च	
99-न्याय प्रशासन	
राजस्व	₹
स्वीकृत	
(18) रख रखाव (R)	4,00,00,000
कुल	4,00,00,000
कुल 2216-आवास	24,00,00,000
3054-सडक तथा सेतु	
03-राजकीय राजमार्ग	
337-सडक निर्माण कार्य	
51-लागू नहीं	
51-लागू नहीं	
राजस्व	₹
स्वीकृत	
(18) रख रखाव (R)	50,00,00,000
कुल	50,00,00,000
3054-सडक तथा सेतु	
04-जिला तथा अन्य सडकें	
337-सडक निर्माण कार्य	
99-जिला सडकें	
51-लागू नहीं	
राजस्व	₹
स्वीकृत	
(18) रख रखाव (R)	60,00,00,000
कुल	60,00,00,000
3054-सडक तथा सेतु	
04-जिला तथा अन्य सडकें	
337-सडक निर्माण कार्य	
98-ग्रामीण सडकें	
51-लागू नहीं	

राजस्व	₹
स्वीकृत	
(18) रख रखाव (R)	310,00,00,000
कुल	310,00,00,000
कुल 3054-सड़क तथा सेतु	420,00,00,000
3055-सड़क परिवहन	
51-लागू नहीं	
001-निदेशन तथा प्रशासन	
99-केन्द्रीय कार्यालय	
98-स्थापना खर्च	
राजस्व	₹
स्वीकृत	
(34) अन्य प्रभार (R)	30,00,00,000
कुल	30,00,00,000
3055-सड़क परिवहन	
51-लागू नहीं	
201-हरियाणा परिवहन	
98-बी-कार्यान्वयन	
51-लागू नहीं	
राजस्व	₹
स्वीकृत	
(45) पी.ओ.एल. (R)	50,00,00,000
(69) अनुबंधित सेवा (R)	7,70,00,000
कुल	57,70,00,000
कुल 3055-सड़क परिवहन	87,70,00,000
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
60-अन्य भवन	
051-निर्माण	
99-लोक निर्माण कार्य	
51-लागू नहीं	
पूंजीगत	₹
स्वीकृत	
(16) वृहत निर्माण कार्य (N)	5,00,00,000
कुल	5,00,00,000
कुल 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	5,00,00,000
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	

04-जिला तथा अन्य सड़कें		
337-सड़क निर्माण कार्य		
48-प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूंजी निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता		
98-जिला गुरूग्राम किमी (0.0 से 14.410) रोड आईडी-3169 में चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण द्वारा पंचगांव से जमालपुर होते हुए फरुखनगर तक 2 लेन सड़क का निर्माण		
पूंजीगत		₹
स्वीकृत		
(16) वृहत निर्माण कार्य (N)		8,41,00,000
कुल		8,41,00,000
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		
04-जिला तथा अन्य सड़कें		
337-सड़क निर्माण कार्य		
48-प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूंजी निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता		
99-गुरुग्राम और नूंह जिले में किमी 0 से 11.50 मीटर तक मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज रोड (एमईएस) पर चौड़ीकरण (5.50 मीटर से 7.00 मीटर) सुदृढीकरण और आईपीबी।		
पूंजीगत		₹
स्वीकृत		
(16) वृहत निर्माण कार्य (N)		9,19,20,000
कुल		9,19,20,000
कुल 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		17,60,20,000
4. कुल मूल अनुदान 2024-25		₹
राजस्व		
स्वीकृत		4807,16,60,000
प्रभारित		5,00,000
पूंजीगत		
स्वीकृत		4191,56,00,000
प्रभारित		80,00,00,000
5. जोड़िए, अब अपेक्षित राशि		₹
		683,25,20,000
राजस्व		
स्वीकृत		660,65,00,000
प्रभारित		...
पूंजीगत		
स्वीकृत		22,60,20,000

प्रभारित

...

6. अब अपेक्षित राशि जोड़ने के बाद कुल अनुदान :-

₹

9762,02,80,000

राजस्व

स्वीकृत

5467,81,60,000

प्रभारित

5,00,000

पूंजीगत

स्वीकृत

4214,16,20,000

प्रभारित

80,00,00,000

2041-वाहन कर

51-लागू नहीं

102-मोटर वाहनों का निरीक्षण

99-निरीक्षण अमला

51-लागू नहीं

स्वीकृत

5,75,00,000

क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्य कार्यालय के कार्यालय व्यय के लंबित भुगतान, ओवरलोड वाहनों की जांच/चालान करने के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों को किराए पर लेने, ड्राइविंग लाइसेंस/पंजीकरण प्रमाण पत्र की वितरण के लिए डाक शुल्क के भुगतान के लिए बीएनपीएल योजना के तहत डाक विभाग को अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का उपबन्ध नहीं किया जा सका। अतः 5,75,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की मांग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त)के माध्यम से की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

2059-लोक निर्माण-कार्य

80-सामान्य

001-निदेशन तथा प्रशासन

99-निर्देशन

51-लागू नहीं

स्वीकृत

12,00,000

मुख्यालय में तकनीकी सलाहकार के वेतन/मानदेय के तत्काल व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 12,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 12,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

2059-लोक निर्माण-कार्य

80-सामान्य

001-निदेशन तथा प्रशासन

97-पर्यवेक्षण

51-लागू नहीं

स्वीकृत

5,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान एचकेआरएनएल पोर्टल में रखे गए संविदा कर्मचारियों के साथ-साथ पुनः रोजगार पर लगे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के वेतन को पूरा करने के लिए 5,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 5,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

2059-लोक निर्माण-कार्य

80-सामान्य

001-निदेशन तथा प्रशासन

96-निष्पादन

51-लागू नहीं

स्वीकृत

73,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ग्रुप सी और डी की नई नियुक्ति, संविदा कर्मचारियों के वेतन, चिकित्सा प्रतिपूर्ति आदि के तत्काल व्यय को पूरा करने के लिए 73,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 73,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

2059-लोक निर्माण-कार्य

80-सामान्य

001-निदेशन तथा प्रशासन

94-भूमि अभिग्रहण अधिकारी

51-लागू नहीं

स्वीकृत

3,00,000

क्षेत्रीय कार्यालय में अनुग्रह राशि पर तत्काल व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 3,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 3,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

2059-लोक निर्माण-कार्य

80-सामान्य

053-रखरखाव तथा मरम्मत

99-संधारण तथा मुरम्में

51-लागू नहीं

स्वीकृत

50,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सरकार के चंडीगढ़ सहित राज्य में गैर-आवासीय भवन के सिविल, इलेक्ट्रिकल और बागवानी रखरखाव कार्यों के लिए तत्काल व्यय को पूरा करने के लिए 50,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 50,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

2216-आवास

05-साधारण पूल आवास

053-रख-रखाव तथा मरम्मत

99-अन्य मरम्मत खर्च

88-साधारण मरम्मत तथा रखरखाव

स्वीकृत

20,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सरकार के चंडीगढ़ सहित राज्य में आवासीय भवन के सिविल, इलेक्ट्रिकल और बागवानी रखरखाव कार्यों के लिए तत्काल व्यय को पूरा करने के लिए 20,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 20,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

2216-आवास

05-साधारण पूल आवास

053-रख-रखाव तथा मरम्मत

99-अन्य मरम्मत खर्च

99-न्याय प्रशासन

स्वीकृत

4,00,00,000

राज्य में न्यायपालिका भवनों के सिविल और इलेक्ट्रिकल सहित रखरखाव कार्यों के लिए तत्काल व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 4,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 4,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

3054-सड़क तथा सेतु

03-राजकीय राजमार्ग

337-सड़क निर्माण कार्य

51-लागू नहीं

51-लागू नहीं

स्वीकृत

50,00,00,000

राज्य में राज्य राजमार्ग सड़कों के विभिन्न कार्यों/चालू परियोजनाओं की मरम्मत/रखरखाव के लिए तत्काल व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 50,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 50,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

3054-सड़क तथा सेतु

04-जिला तथा अन्य सड़कें

337-सड़क निर्माण कार्य

99-जिला सड़कें

51-लागू नहीं

स्वीकृत

60,00,00,000

राज्य में जिला सड़कों के विभिन्न कार्यों/चालू परियोजनाओं की मरम्मत/रखरखाव के लिए तत्काल व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 60,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 60,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

3054-सड़क तथा सेतु

04-जिला तथा अन्य सड़कें

337-सड़क निर्माण कार्य

98-ग्रामीण सड़कें

51-लागू नहीं

स्वीकृत

310,00,00,000

राज्य में ग्रामीण सड़कों के विभिन्न कार्यों/चालू परियोजनाओं की मरम्मत/रखरखाव के लिए तत्काल व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 310,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 310,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

3055-सड़क परिवहन

51-लागू नहीं

001-निदेशन तथा प्रशासन

99-केन्द्रीय कार्यालय

98-स्थापना खर्च

स्वीकृत

30,00,00,000

हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना (हैप्पी) कार्ड और ई-टिकटिंग के भुगतान के खर्च को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 30,00,00,000 रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का उपबन्ध नहीं किया जा सका। अतः 30,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त)के माध्यम से की जा रही है।

यह राजस्व 'स्वीकृत' खर्च की मद है।

3055-सड़क परिवहन

51-लागू नहीं

201-हरियाणा परिवहन

98-बी-कार्यान्वयन

51-लागू नहीं

स्वीकृत

57,70,00,000

ईधन/डीजल की प्रतिबद्ध देयता के कारण व्यय को पूरा करने के लिए 50,00,00,000/- रुपये की और रिक्त पदों पर नए कर्मचारियों की नियुक्ति के कारण व्यय को पूरा करने के लिए 7,70,00,000/- रुपये की वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का उपबन्ध नहीं किया जा सका। अतः 57,70,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त)के माध्यम से की जा रही है।

यह राजस्व 'स्वीकृत' खर्च की मद है।

4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60-अन्य भवन

051-निर्माण

99-लोक निर्माण कार्य

51-लागू नहीं

स्वीकृत

5,00,00,000

राज्य में विश्राम गृहों के निर्माण पर तत्काल व्यय को पूरा करने के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 5,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 5,00,00,000/- रुपये की माँग की जा रही है।

यह एक पूंजीगत "स्वीकृत" खर्च की मद है।

5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04-जिला तथा अन्य सड़कें

337-सड़क निर्माण कार्य

48-प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूंजी निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता

98-जिला गुरुग्राम किमी (0.0 से 14.410) रोड आईडी-3169 में चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण द्वारा पंचगांव से जमालपुर होते हुए फरुखनगर तक 2 लेन सड़क का निर्माण

स्वीकृत

8,41,00,000

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान प्रधान मंत्री गति शक्ति योजना के तहत जिला गुरुग्राम में चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण द्वारा पंचगांव से जमालपुर होते हुए फरुखनगर तक 2 लेन सड़क के निर्माण के लिए 8,41,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 8,41,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है।

यह एक पूंजीगत "स्वीकृत" खर्च की मद है।

5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04-जिला तथा अन्य सड़कें

337-सड़क निर्माण कार्य

48-प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत पूंजी निवेश के लिए राज्य को विशेष सहायता

99-गुरुग्राम और नूंह जिले में किमी 0 से 11.50 मीटर तक मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज रोड (एमईएस) पर चौड़ीकरण (5.50 मीटर से 7.00 मीटर) सुदृढ़ीकरण और आईपीबी।

स्वीकृत

9,19,20,000

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान गुरुग्राम और नूंह जिले में सैन्य इंजीनियरिंग सेवाओं (एम.ई.एस.) सड़कों के चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण और आईपीबी के लिए प्रधान मंत्री गति शक्ति योजना के तहत 9,19,20,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 9,19,20,000/- रुपये की मांग की जा रही है।

यह एक पूंजीगत "स्वीकृत" खर्च की मद है।

मांग संख्या 19
ऊर्जा विभाग (विद्युत
/नवीन एवं नवीकरणीय
ऊर्जा)/उद्योग एवं
वाणिज्य/एमएसएमई/सिंचाई
एवं जल संसाधन

वर्ष 2024-25 के अनुदानों और विनियोजनों की मांगों के विवरण पत्र का पृष्ठ (XXI-XXII) देखिए

1. मूल अनुदान

राजस्व

स्वीकृत: एक हजार सात सौ पाँच करोड़ तेरह लाख दस हजार रुपये

प्रभारित:

पूँजीगत

स्वीकृत: तीन हजार चार सौ निन्यानवे करोड़ बावन लाख रूपये

प्रभारित: बीस करोड़ रूपये

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध में खर्च को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष (प्रथम किस्त) में अपेक्षित राशि के अनुपूरक अनुमान :-

2700-मुख्य सिंचाई

राजस्व

स्वीकृत बीस करोड़ रूपये

2801-बिजली

राजस्व

स्वीकृत सात सौ उनतालीस करोड़ पैतालीस लाख रूपये

2810-नवीन और नवीकरणीय उर्जा

राजस्व

स्वीकृत छह सौ करोड़ रूपये

2851-ग्रामीण तथा लघु उद्योग

राजस्व

स्वीकृत एक लाख रूपये

4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

पूँजीगत

स्वीकृत बीस करोड़ रूपये।

4701-मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

पूँजीगत

स्वीकृत तीस करोड़ रूपये

3. उप/लघु शीर्ष जिनके अधीन अनुपूरक अनुदानों का लेखा रखा जाएगा :-

2700-मुख्य सिंचाई

18-अवाणिज्यिक सिंचाई प्रोजेक्ट

101-रखरखाव तथा मुरम्मत

98-अन्य संधारण कार्य

51-लागू नहीं

राजस्व

₹

स्वीकृत

(18) रख रखाव (R)

20,00,00,000

कुल

20,00,00,000

कुल 2700-मुख्य सिंचाई

20,00,00,000

2801-बिजली

05-संचरण तथा वितरण

190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

94-यूएचबीवीएनएल/डीएचबीवीएनएल को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए सहायता

51-लागू नहीं

राजस्व

₹

स्वीकृत

(11) अनुदान (R)

439,05,00,000

कुल

439,05,00,000

2801-बिजली

05-संचरण तथा वितरण

190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

93-गैर-एपी उपभोक्ताओं से एफएसए न वसूलने पर सब्सिडी

51-लागू नहीं

राजस्व

₹

स्वीकृत

(11) अनुदान (R)

100,00,00,000

कुल

100,00,00,000

2801-बिजली

05-संचरण तथा वितरण

190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

92-एपी उपभोक्ताओं से एफएसए न वसूलने पर सब्सिडी

51-लागू नहीं

राजस्व	₹
स्वीकृत	
(11) अनुदान (R)	200,00,00,000
कुल	200,00,00,000
2801-बिजली	
05-संचरण तथा वितरण	
190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	
91-रूफटॉप सोलर सब्सिडी यूएचबीवीएनएल	
51-लागू नहीं	
राजस्व	₹
स्वीकृत	
(11) अनुदान (R)	25,00,000
कुल	25,00,000
2801-बिजली	
05-संचरण तथा वितरण	
190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश	
90-रूफटॉप सोलर सब्सिडी डीएचबीवीएनएल	
51-लागू नहीं	
राजस्व	₹
स्वीकृत	
(11) अनुदान (R)	15,00,000
कुल	15,00,000
कुल 2801-बिजली	739,45,00,000
2810-नवीन और नवीकरणीय उर्जा	
51-लागू नहीं	
101-ग्रिड इंटरैक्टिव और डिस्ट्रिब्यूटेड नवीनीबल पावर	
98-राज्य में सौर जल पंपिंग प्रणाली की स्थापना	
51-लागू नहीं	
राजस्व	₹
स्वीकृत	
(11) अनुदान (N)	600,00,00,000
कुल	600,00,00,000
कुल 2810-नवीन और नवीकरणीय उर्जा	600,00,00,000
2851-ग्रामीण तथा लघु उद्योग	
51-लागू नहीं	
102-लघु उद्योग	

58-एमएसएमई उन्नति के लिए विकास में तेजी लाने का कार्यक्रम (पीएडीएमए)

51-लागू नहीं

राजस्व ₹

स्वीकृत

(11) अनुदान (N) 1,00,000

कुल 1,00,000

कुल 2851-ग्रामीण तथा लघु उद्योग 1,00,000

4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

16-राज्य नहर प्रणाली का वर्तमान नहरों कर निकास

800-अन्य खर्च

98-नहर का निर्माण-जल पाठ्यक्रम का पुनर्वास

51-लागू नहीं

पूंजीगत ₹

स्वीकृत

(16) वृहत निर्माण कार्य (N) 20,00,00,000

कुल 20,00,00,000

कुल 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 20,00,00,000

4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय

25-शोधित अपशिष्ट जल के लिए सिंचाई योजना

800-अन्य व्यय

99-शाखाएँ-सिंचाई प्रयोजनों के लिए उपचारित अपशिष्ट जल की आपूर्ति

51-लागू नहीं

पूंजीगत ₹

स्वीकृत

(16) वृहत निर्माण कार्य (N) 30,00,00,000

कुल 30,00,00,000

कुल 4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 30,00,00,000

4. कुल मूल अनुदान 2024-25 ₹

राजस्व

स्वीकृत 10705,13,10,000

प्रभारित ...

पूंजीगत

स्वीकृत 3499,52,00,000

प्रभारित 20,00,00,000

5. जोड़िए, अब अपेक्षित राशि ₹
1409,46,00,000

राजस्व	
स्वीकृत	1359,46,00,000
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	50,00,00,000
प्रभारित	...

6. अब अपेक्षित राशि जोड़ने के बाद कुल अनुदान :- ₹
15634,11,10,000

राजस्व	
स्वीकृत	12064,59,10,000
प्रभारित	...
पूंजीगत	
स्वीकृत	3549,52,00,000
प्रभारित	20,00,00,000

2700-मुख्य सिंचाई

18-अवाणिज्यिक सिंचाई प्रोजेक्ट

101-रखरखाव तथा मुरम्मत

98-अन्य संधारण कार्य

51-लागू नहीं

स्वीकृत **20,00,00,000**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नालो के रखरखाव योजना के कार्यों के लिए तत्काल व्यय को पूरा करने के लिए 20,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम क्रिस्त) के माध्यम से 20,00,00,000/- रूपये की मांग की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

2801-बिजली

05-संचरण तथा वितरण

190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

94-यूएचबीवीएनएल/डीएचबीवीएनएल को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए सहायता

51-लागू नहीं

स्वीकृत **439,05,00,000**

वित्तीय वर्ष 2024-25 में यूएचबीवीएनएल/डीएचबीवीएनएल को ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए अनुदान के खर्च को वहन करने हेतु 439,05,00,000/- रूपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः 439,05,00,000/- रूपये की माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम क्रिस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

2801-बिजली

05-संचरण तथा वितरण

190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

93-गैर-एपी उपभोक्ताओं से एफएसए न वसूलने पर सब्सिडी

51-लागू नहीं

स्वीकृत

100,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 में गैर-एपी उपभोक्ताओं से एफएसए न वसूलने पर अनुदान के खर्च को वहन करने हेतु 100,00,00,000/- रूपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः 100,00,00,000/- रूपये की माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम क्रिस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

2801-बिजली

05-संचरण तथा वितरण

190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

92-एपी उपभोक्ताओं से एफएसए न वसूलने पर सब्सिडी

51-लागू नहीं

स्वीकृत

200,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 में एपी उपभोक्ताओं से एफएसए न वसूलने के लिए अनुदान के खर्च को वहन करने हेतु 200,00,00,000/- रूपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः 200,00,00,000/- रूपये की माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम क्रिस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

2801-बिजली

05-संचरण तथा वितरण

190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

91-रूफटॉप सोलर सब्सिडी यूएचबीवीएनएल

51-लागू नहीं

स्वीकृत

25,00,000

यह एक नई राज्य स्कीम है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में यूएचबीवीएनएल को रूफटॉप सोलर अनुदान के खर्च को वहन करने हेतु 25,00,000/- रूपये की राशि की आवश्यकता है। बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः 25,00,000/- रूपये की माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम क्रिस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

2801-बिजली

05-संचरण तथा वितरण

190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

90-रूफटॉप सोलर सब्सिडी डीएचबीवीएनएल

51-लागू नहीं

स्वीकृत

15,00,000

यह एक नई राज्य स्कीम है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में डीएचबीवीएनएल को रूफटॉप सोलर अनुदान के खर्च को वहन करने हेतु 15,00,000/- रूपये की राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः 15,00,000/- रूपये की माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम क्रिस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

2810-नवीन और नवीकरणीय उर्जा

51-लागू नहीं

101-ग्रिड इंटरैक्टिव और डिस्ट्रिब्यूटेड नवीनीबल पावर

98-राज्य में सौर जल पंपिंग प्रणाली की स्थापना

51-लागू नहीं

स्वीकृत

600,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य में सौर जल पंपिंग प्रणाली की स्थापना पर अनुदान के खर्च को वहन करने हेतु 600,00,00,000/- रूपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः 600,00,00,000/- रूपये की माँग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम क्रिस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

2851-ग्रामीण तथा लघु उद्योग

51-लागू नहीं

102-लघु उद्योग

58-एमएसएमई उन्नति के लिए विकास में तेजी लाने का कार्यक्रम (पीएडीएमए)

51-लागू नहीं

स्वीकृत

1,00,000

यह एक नई राज्य स्कीम है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में एमएसएमई उन्नति के लिए विकास में तेजी लाने का कार्यक्रम (पदमा) के अन्तर्गत अनुदान के खर्च को वहन करने हेतु राज्य हिस्सेदारी के लिए सांकेतिक माँग के रूप में 1,00,000/- रूपये की राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः 1,00,000/-रूपये की सांकेतिक माँग अनुपूरक 2024-25 (प्रथम क्रिस्त) के माध्यम से की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय**16-राज्य नहर प्रणाली का वर्तमान नहरों कर निकास****800-अन्य खर्च****98-नहर का निर्माण-जल पाठ्यक्रम का पुनर्वास****51-लागू नहीं****स्वीकृत****20,00,00,000**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान खालो के पुनर्वास के तहत तत्काल व्यय को पूरा करने के लिए 20,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम क्रिस्त) के माध्यम से 20,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है।

यह एक पूंजीगत "स्वीकृत" खर्च की मद है।

4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय**25-शोधित अपशिष्ट जल के लिए सिंचाई योजना****800-अन्य व्यय****99-शाखाएँ-सिंचाई प्रयोजनों के लिए उपचारित अपशिष्ट जल की आपूर्ति****51-लागू नहीं****स्वीकृत****30,00,00,000**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आकस्मिक बाढ़ कार्य योजनाओं के तहत तत्काल व्यय को पूरा करने के लिए 30,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम क्रिस्त) के माध्यम से 30,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है।

यह एक पूंजीगत "स्वीकृत" खर्च की मद है।

मांग संख्या 20
**नगर तथा ग्राम आयोजना/
 शहरी सम्पदा (शहरी
 विकास) / शहरी स्थानीय
 निकाय (स्थानीय सरकार) /
 विकास और पंचायत (ग्रामीण
 विकास) /जन स्वास्थ्य
 अभियांत्रिकी**

वर्ष 2024-25 के अनुदानों और विनियोजनों की मांगों के विवरण पत्र का पृष्ठ (XXIII-XXIV) देखिए

1.मूल अनुदान

राजस्व

स्वीकृत: एक हजार तैंतालीस सौ चौरानबे करोड़ चौहत्तर लाख अठ्ठावन हजार रुपये

प्रभारित: तीस लाख रुपये

पूंजीगत

स्वीकृत: तीन हजार छह सौ उनासी करोड़ दस लाख रुपये

प्रभारित:

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध में खर्च को पूरा करने के लिए 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष (प्रथम किस्त) में अपेक्षित राशि के अनुपूरक अनुमान :-

2215-जलापूर्ति तथा सफाई

राजस्व

स्वीकृत तीन सौ चौदह करोड़ रुपये

2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

राजस्व

स्वीकृत दो लाख रूपये

2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

राजस्व

प्रभारित बीस लाख रूपये

4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

पूंजीगत

स्वीकृत तीन सौ छियासठ करोड़ रुपये

4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

पूंजीगत

स्वीकृत दो सौ उनासी करोड़ रूपये

4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

पूंजीगत

स्वीकृत दो सौ चौबीस करोड़ रूपये

4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

पूंजीगत

स्वीकृत बीस करोड़ रूपये

3. उप/लघु शीर्ष जिनके अधीन अनुपूरक अनुदानों का लेखा रखा जाएगा :-

2215-जलापूर्ति तथा सफाई

01-जलापूर्ति

003-प्रशिक्षण

99-सूचना शिक्षा संचार गतिविधियाँ

51-लागू नहीं

राजस्व

₹

स्वीकृत

(34) अन्य प्रभार (N)

2,00,00,000

कुल

2,00,00,000

2215-जलापूर्ति तथा सफाई

01-जलापूर्ति

101-शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम

99-शहरी जल सप्लाई तथा मल निकास का रखरखाव

97-नहरी जल प्रभार

राजस्व

₹

स्वीकृत

(40) जल प्रभार (R)

30,00,00,000

कुल

30,00,00,000

2215-जलापूर्ति तथा सफाई

01-जलापूर्ति

101-शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम

99-शहरी जल सप्लाई तथा मल निकास का रखरखाव

98-रख रखाव प्रभार

राजस्व

₹

स्वीकृत

(18) रख रखाव (R)

20,00,00,000

कुल

20,00,00,000

2215-जलापूर्ति तथा सफाई

01-जलापूर्ति		
101-शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम		
99-शहरी जल सप्लाई तथा मल निकास का रखरखाव		
99-ऊर्जा प्रभार		
राजस्व		₹
स्वीकृत		
(92) ऊर्जा प्रभार (R)	100,00,00,000	
कुल	100,00,00,000	
2215-जलापूर्ति तथा सफाई		
01-जलापूर्ति		
101-शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम		
96-कि		
51-लागू नहीं		
राजस्व		₹
स्वीकृत		
(18) रख रखाव (R)	2,00,00,000	
कुल	2,00,00,000	
2215-जलापूर्ति तथा सफाई		
01-जलापूर्ति		
102-ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम		
97-ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम		
51-लागू नहीं		
राजस्व		₹
स्वीकृत		
(18) रख रखाव (R)	50,00,00,000	
(92) ऊर्जा प्रभार (R)	110,00,00,000	
कुल	160,00,00,000	
कुल 2215-जलापूर्ति तथा सफाई	314,00,00,000	
2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम		
06-स्वरोजगार कार्यक्रम		
188-स्वायत्त बोडो को सहायता		
99-महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी, एनआरएलएम)-सामान्य		
51-लागू नहीं		
राजस्व		₹
स्वीकृत		
(09) सहायतानुदान सामान्य (R)	40,000	

(09) सहायतानुदान सामान्य (N)	60,000
कुल	1,00,000
2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	
06-स्वरोजगार कार्यक्रम	
789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
96-महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी, एनआरएलएम) - एससीएसपी	
51-लागू नहीं	
राजस्व	₹
स्वीकृत	
(09) सहायतानुदान सामान्य (R)	40,000
(09) सहायतानुदान सामान्य (N)	60,000
कुल	1,00,000
कुल 2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2,00,000
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	
51-लागू नहीं	
001-निदेशन तथा प्रशासन	
98-सामुदायिक विकास	
96-जिला तथा खण्ड अमला	
राजस्व	₹
प्रभारित	
(89) विविध (R)	20,00,000
कुल	20,00,000
कुल 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	20,00,000
4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	
01-जल पूर्ति	
101-शहरी जल पूर्ति	
99-शहरी जल आपूर्ति	
99-बढ़ौतरी जल पूर्ति	
पूंजीगत	₹
स्वीकृत	
(16) वृहत निर्माण कार्य (N)	50,00,00,000
कुल	50,00,00,000
4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	
01-जल पूर्ति	
102-ग्रामीण जल पूर्ति	
93-ग्रामीण जलापूर्ति (एस.पी.)	

90-गांव में पेयजल आपूर्ति के नवीनीकरण के लिए महा ग्राम योजना

पूजीगत ₹

स्वीकृत

(16) वृहत निर्माण कार्य (N) 10,00,00,000

कुल 10,00,00,000

4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूजीगत परिव्यय

01-जल पूर्ति

102-ग्रामीण जल पूर्ति

93-ग्रामीण जलापूर्ति (एस.पी.)

93-नाबार्ड

पूजीगत ₹

स्वीकृत

(16) वृहत निर्माण कार्य (N) 80,00,00,000

कुल 80,00,00,000

4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूजीगत परिव्यय

01-जल पूर्ति

102-ग्रामीण जल पूर्ति

93-ग्रामीण जलापूर्ति (एस.पी.)

94-बढ़ौतरी जल पूर्ति

पूजीगत ₹

स्वीकृत

(16) वृहत निर्माण कार्य (N) 150,00,00,000

कुल 150,00,00,000

4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूजीगत परिव्यय

01-जल पूर्ति

789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

96-ग्रामीण जलापूर्ति में वृद्धि के तहत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

51-लागू नहीं

पूजीगत ₹

स्वीकृत

(74) अनुसूचित जाति के लिये विशेष अंश (N) 50,00,00,000

कुल 50,00,00,000

4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूजीगत परिव्यय

01-जल पूर्ति

800-अन्य व्यय

99-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का सांस्थानिक सुदृढीकरण

51-लागू नहीं		
पूजीगत		₹
स्वीकृत		
(16) वृहत निर्माण कार्य (N)		1,00,00,000
कुल		1,00,00,000
4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूजीगत परिव्यय		
02-मल-जल तथा सफाई		
101-शहरी सफाई सेवाएं		
94-मल व्यवस्था तथा सफाई		
51-लागू नहीं		
पूजीगत		₹
स्वीकृत		
(16) वृहत निर्माण कार्य (N)		25,00,00,000
कुल		25,00,00,000
कुल 4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूजीगत परिव्यय		366,00,00,000
4217-शहरी विकास पर पूजीगत परिव्यय		
60-अन्य शहरी विकास योजनाएं		
051-निर्माण		
89-मंगल नगर विकास योजना		
51-लागू नहीं		
पूजीगत		₹
स्वीकृत		
(16) वृहत निर्माण कार्य (N)		279,00,00,000
कुल		279,00,00,000
कुल 4217-शहरी विकास पर पूजीगत परिव्यय		279,00,00,000
4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूजीगत परिव्यय		
51-लागू नहीं		
101-पंचायती राज		
97-हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (HGVY)		
51-		
पूजीगत		₹
स्वीकृत		
(16) वृहत निर्माण कार्य (N)		224,00,00,000
कुल		224,00,00,000
कुल 4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूजीगत परिव्यय		224,00,00,000
4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूजीगत परिव्यय		

01-बाढ़ नियंत्रण	
201-जल निकास तथा बाढ़ नियंत्रण योजना	
98-शहरी बरसाती पानी निकासी नालों के कार्य	
51-लागू नहीं	
पूँजीगत	₹
स्वीकृत	
(16) वृहत निर्माण कार्य (N)	20,00,00,000
कुल	20,00,00,000
कुल 4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय	20,00,00,000

4. कुल मूल अनुदान 2024-25 **₹**

राजस्व	
स्वीकृत	14394,74,58,000
प्रभारित	30,00,000
पूँजीगत	
स्वीकृत	3679,10,00,000
प्रभारित	...

5. जोड़िए, अब अपेक्षित राशि **₹**

1203,22,00,000

राजस्व	
स्वीकृत	314,02,00,000
प्रभारित	20,00,000
पूँजीगत	
स्वीकृत	889,00,00,000
प्रभारित	...

6. अब अपेक्षित राशि जोड़ने के बाद कुल अनुदान :- **₹**

19277,36,58,000

राजस्व	
स्वीकृत	14708,76,58,000
प्रभारित	50,00,000
पूँजीगत	
स्वीकृत	4568,10,00,000
प्रभारित	...

2215-जलापूर्ति तथा सफाई**01-जलापूर्ति****003-प्रशिक्षण****99-सूचना शिक्षा संचार गतिविधियाँ****51-लागू नहीं****स्वीकृत****2,00,00,000**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सूचना शिक्षा संचार गतिविधि योजना के तहत व्यय को पूरा करने के लिए 2,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजट के बाद का विकास होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 2,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है। यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

2215-जलापूर्ति तथा सफाई**01-जलापूर्ति****101-शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम****99-शहरी जल सप्लाई तथा मल निकास का रखरखाव****97-नहरी जल प्रभार****स्वीकृत****30,00,00,000**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज योजना के रखरखाव के तहत व्यय को पूरा करने के लिए 30,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजट के बाद का विकास होने के कारण, बजट अनुमान 2024-25 में प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 30,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है। यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

2215-जलापूर्ति तथा सफाई**01-जलापूर्ति****101-शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम****99-शहरी जल सप्लाई तथा मल निकास का रखरखाव****98-रख रखाव प्रभार****स्वीकृत****20,00,00,000**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज योजना के रखरखाव के तहत व्यय को पूरा करने के लिए 20,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। बजट के बाद का विकास होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 20,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है। यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

2215-जलापूर्ति तथा सफाई**01-जलापूर्ति****101-शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम****99-शहरी जल सप्लाई तथा मल निकास का रखरखाव****99-ऊर्जा प्रभार****स्वीकृत****100,00,00,000**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान शहरी जल आपूर्ति और सीवरेज योजना के रखरखाव के तहत व्यय को पूरा करने के लिए 100,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजट के बाद का विकास होने के कारण, बजट अनुमान 2024-25 में प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 100,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

2215-जलापूर्ति तथा सफाई

01-जलापूर्ति

101-शहरी जल पूर्ति कार्यक्रम

96-कि

51-लागू नहीं

स्वीकृत

2,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान संचालन एवं रखरखाव शहरी बरसाती जल निकासी कार्य योजना के तहत व्यय को पूरा करने के लिए 2,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजट के बाद का विकास होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 2,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

2215-जलापूर्ति तथा सफाई

01-जलापूर्ति

102-ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम

97-ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम

51-लागू नहीं

स्वीकृत

160,00,00,000

ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम योजना के तहत व्यय को पूरा करने के लिए 160,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है और वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान बुक एडजस्टमेंट के रूप में धनराशि सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को हस्तांतरित की जाएगी।

बजट के बाद का विकास होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 160,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है।

यह एक राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

06-स्वरोजगार कार्यक्रम

188-स्वायत्त बोडो को सहायता

99-महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (एमकेएसपी, एनआरएलएम)-सामान्य

51-लागू नहीं

स्वीकृत

40,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत नई योजना महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अनुदान सहायता सामान्य मद के अंतर्गत सांकेतिक मांग को पूरा करने के लिए राज्य के हिस्से के रूप में 40,000/- रुपये की राशि अपेक्षित है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण इसके लिए बजट अनुमान में बजट उपलब्ध नहीं किया जा सका। अतः 40,000/- रुपये की मांग अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) 2024-25 के माध्यम से की जा रही है।

यह राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद है।

स्वीकृत

60,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत नई योजना महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अनुदान सहायता सामान्य मद् के अंतर्गत सांकेतिक मांग को पूरा करने के लिए केंद्र के हिस्से के रूप में 60,000/- रुपये की राशि अपेक्षित है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण इसके लिए बजट अनुमान में बजट उपलब्ध नहीं किया जा सका। अतः 60,000/- रुपये की मांग अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) 2024-25 के माध्यम से की जा रही है।

यह राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद् है।

2501-ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम

06-स्वरोजगार कार्यक्रम

789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

96-महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी, एनआरएलएम) - एससीएसपी

51-लागू नहीं

स्वीकृत

40,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के तहत नई योजना महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अनुदान सहायता सामान्य मद् के अंतर्गत सांकेतिक मांग को पूरा करने के लिए राज्य के हिस्से के रूप में 40,000/- रुपये की राशि अपेक्षित है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण इसके लिए बजट अनुमान में बजट उपलब्ध नहीं किया जा सका। अतः 40,000/- रुपये की मांग अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) 2024-25 के माध्यम से की जा रही है।

यह राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद् है।

स्वीकृत

60,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के तहत नई योजना महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अनुदान सहायता सामान्य मद् के अंतर्गत सांकेतिक मांग को पूरा करने के लिए केंद्र के हिस्से के रूप में 60,000/- रुपये की राशि अपेक्षित है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण इसके लिए बजट अनुमान में बजट उपलब्ध नहीं किया जा सका। अतः 60,000/- रुपये की मांग अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) 2024-25 के माध्यम से की जा रही है।

यह राजस्व "स्वीकृत" खर्च की मद् है।

2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम

51-लागू नहीं

001-निदेशन तथा प्रशासन

98-सामुदायिक विकास

96-जिला तथा खण्ड अमला

प्रभारित

20,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अधिवक्ताओं को अदालती मामलों के बिलों के भुगतान के लिए चार्ज्ड हेड के अंतर्गत व्यय को पूरा करने के लिए 20,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण इसके लिए बजट अनुमान 2024-25 में बजट उपलब्ध नहीं किया जा सका। अतः 20,00,000/- रुपये की अतिरिक्त मांग अनुपूरक अनुमान (प्रथम किस्त) 2024-25 के माध्यम से की जा रही है।

यह राजस्व "प्रभारित" खर्च की मद् है।

4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

01-जल पूर्ति

101-शहरी जल पूर्ति

99-शहरी जल आपूर्ति

99-बढ़ौतरी जल पूर्ति

स्वीकृत

50,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान शहरी जल आपूर्ति योजना के तहत व्यय को पूरा करने के लिए 50,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजट के बाद का विकास होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 50,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है।

यह एक पूंजीगत "स्वीकृत" खर्च की मद है।

4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

01-जल पूर्ति

102-ग्रामीण जल पूर्ति

93-ग्रामीण जलापूर्ति (एस.पी.)

90-गांव में पेयजल आपूर्ति के नवीनीकरण के लिए महा ग्राम योजना

स्वीकृत

10,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान गांव में पेयजल आपूर्ति के उन्नयन के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति महाग्राम योजना के तहत व्यय को पूरा करने के लिए 10,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजट के बाद का विकास होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 10,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है।

यह एक पूंजीगत "स्वीकृत" खर्च की मद है।

4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

01-जल पूर्ति

102-ग्रामीण जल पूर्ति

93-ग्रामीण जलापूर्ति (एस.पी.)

93-नाबार्ड

स्वीकृत

80,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान नाबार्ड फंडिंग योजना के तहत चल रहे परियोजना कार्यों के व्यय को पूरा करने के लिए 80,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजट के बाद का विकास होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 80,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है।

यह एक पूंजीगत "स्वीकृत" खर्च की मद है।

4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

01-जल पूर्ति

102-ग्रामीण जल पूर्ति

93-ग्रामीण जलापूर्ति (एस.पी.)

94-बढ़ौतरी जल पूर्ति

स्वीकृत

150,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के विस्तार के लिए व्यय को पूरा करने के लिए 150,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।
बजट के बाद का विकास होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 150,00,00,000/- का प्रावधान किया जा रहा है। यह एक पूंजीगत "स्वीकृत" खर्च की मद है।

4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

01-जल पूर्ति

789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

96-ग्रामीण जलपूर्ति में वृद्धि के तहत अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

51-लागू नहीं

स्वीकृत

50,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान राज्य में अनुसूचित जाति की आबादी के लिए विशेष घटक के लिए ग्रामीण जल आपूर्ति योजना के विस्तार के तहत व्यय को पूरा करने के लिए 50,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजटोत्तर विकास होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इसका प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 50,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है।

यह एक पूंजीगत "स्वीकृत" खर्च की मद है।

4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

01-जल पूर्ति

800-अन्य व्यय

99-जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का सांस्थानिक सुदृढीकरण

51-लागू नहीं

स्वीकृत

1,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग योजना के संस्थागत सुदृढीकरण के तहत व्यय को पूरा करने के लिए 1,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजट के बाद का विकास होने के कारण, बजट अनुमान 2024-25 में प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 1,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है।

यह एक पूंजीगत "स्वीकृत" खर्च की मद है।

4215-जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय

02-मल-जल तथा सफाई

101-शहरी सफाई सेवाएं

94-मल व्यवस्था तथा सफाई

51-लागू नहीं

स्वीकृत

25,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान सीवरेज एवं स्वच्छता योजना के तहत व्यय को पूरा करने के लिए 25,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजट के बाद का विकास होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम किस्त) के माध्यम से 25,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है।

यह एक पूंजीगत "स्वीकृत" खर्च की मद है।

4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

60-अन्य शहरी विकास योजनाएं

051-निर्माण

89-मंगल नगर विकास योजना

51-लागू नहीं

स्वीकृत

279,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान पूंजी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना, मानव संसाधन विकास-सह-क्षमता भवन, शहरी वन, इन-सीटू स्लम पुनर्वास, जल निकायों का पुनरुद्धार, रिवरफ्रंट विकास के लिए "पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता 2023-24"। यह राशि हरियाणा आकस्मिकता निधि से निर्धारित की गई थी। इसे हरियाणा आकस्मिकता निधि में वापस किया जाना आवश्यक है।

बजटोत्तर निर्णय होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में इस राशि का प्रावधान नहीं किया जा सका। अतः 2,79,00,00,000/-रूपये की मांग अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम क्रिस्त) के माध्यम से की जा रही है। यह एक पूंजीगत "स्वीकृत" खर्च की मद है।

4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

51-लागू नहीं

101-पंचायती राज

97-हरियाणा ग्रामीण विकास योजना (HGVY)

51-

स्वीकृत

224,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान योजना के अंतर्गत प्रमुख कार्यों के व्यय को पूरा करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग को 224,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि अपेक्षित है। बजट की इस अतिरिक्त मांग को स्कीम राज्य वित्त आयोग (एस०एफ०सी०) के तहत ग्रामीण बुनियादी ढांचा विकास, प्रमुख शीर्ष 2515(राजस्व मद) के अंतर्गत उपलब्ध अप्रयुक्त निधियों में समायोजित किया जाएगा।

अतः शुद्ध अनुपूरक मांग शून्य होगा।

4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय

01-बाढ़ नियंत्रण

201-जल निकास तथा बाढ़ नियंत्रण योजना

98-शहरी बरसाती पानी निकासी नालों के कार्य

51-लागू नहीं

स्वीकृत

20,00,00,000

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान जल निकासी और बाढ़ नियंत्रण परियोजना योजना के तहत व्यय को पूरा करने के लिए 20,00,00,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

बजट के बाद का विकास होने के कारण बजट अनुमान 2024-25 में प्रावधान नहीं किया जा सका। इसलिए अनुपूरक अनुमान 2024-25 (प्रथम क्रिस्त) के माध्यम से 20,00,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है।

यह एक पूंजीगत "स्वीकृत" खर्च की मद है।